



**International Year  
of Cooperatives**

Cooperatives Build a Better World



**सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था,  
महाराष्ट्र राज्य, पुणे**

**सहकार पुरस्कार सन २०२३-२४**

**सहकार पुरस्कार निकष पुस्तिका**

**सहकार पुरस्कार सन २०२३ - २४ निकष**  
**अनुक्रमणिका**

| अ.क्र                              | विषय                                                                                                                                            | पृष्ठ क्रमांक |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १                                  | भाग “अ” आणि भाग “क” निकष                                                                                                                        | ४ ते ७        |
| <b>भाग “ब” निकष — प्रकार निहाय</b> |                                                                                                                                                 |               |
| २                                  | प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था / विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था                                                                              | ८ ते ९        |
| ३                                  | नागरी पतसंस्था, ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था व पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था                                                                         | १० ते ११      |
| ४                                  | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक                                                                                                                     | १२ ते २२      |
| ५                                  | नागरी सहकारी बँका                                                                                                                               | २३ ते २९      |
| ६                                  | सहकारी साखर कारखाने                                                                                                                             | ३० ते ३३      |
| ७                                  | सहकारी सूतगिरणी, सहकारी दुग्ध संस्था / संघ                                                                                                      | ३४ ते ३७      |
| ८                                  | गृहनिर्माण सहकारी संस्था                                                                                                                        | ३८ ते ४१      |
| ९                                  | औदयोगिक संस्था, मजूर संस्था, जंगल कामगार संस्था, उपसा सिंचन संस्था / पाणीपुरवठा संस्था, हातमाग व यंत्रमाग संस्था                                | ४२ ते ५०      |
| १०                                 | फळे भाजीपाला संस्था, खरेदी विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था                                                                         | ५१ ते ५४      |
| ११                                 | कुक्कुटपालन संस्था, पशुसंवर्धन संस्था, मत्स्यपालन संस्था, वाहतूक संस्था, औदयोगिक वसाहती, मधुमक्षिकापालन संस्था व सर्वसाधारण वर्गीकरणातील संस्था | ५५ ते ६४      |

**संस्था प्रकार / गट निहाय छाननी निकष गुणांची विभागणी**

| अ.क्र. | सहकारी संस्थेचा प्रकार / गट                                                                                                                     | भाग<br>- अ | भाग<br>- ब | भाग<br>- क | एकूण |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| १      | प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था / विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था                                                                              | ५०         | ३५         | १५+५       | १०५  |
| २      | नागरी पतसंस्था, ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था, पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था                                                                          | ५०         | ३५         | १५+५       | १०५  |
| ३      | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक                                                                                       |            |            |            | १५५  |
| ४      | नागरी सहकारी बँका                                                                                                                               |            |            |            | १५५  |
| ५      | सहकारी साखर कारखाने                                                                                                                             | ५०         | ३५         | १५+१५      | ११५  |
| ६      | सहकारी सूतगिरणी, सहकारी दुग्ध संस्था / संघ                                                                                                      | ५०         | ३५         | १५+५       | १०५  |
| ७      | गृहनिर्माण सहकारी संस्था                                                                                                                        |            |            |            | १०५  |
| ८      | औदयोगिक संस्था, मजूर संस्था, जंगल कामगार संस्था, उपसा सिंचन संस्था / पाणीपुरवठा संस्था, हातमाग व यंत्रमाग संस्था                                | ५०         | ३५         | १५+५       | १०५  |
| ९      | फळे भाजीपाला संस्था, खरेदी विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था                                                                         | ५०         | ३५         | १५+५       | १०५  |
| १०     | कुक्कुटपालन संस्था, मत्स्यपालन संस्था, पशुसंवर्धन संस्था, वाहतूक संस्था, औदयोगिक वसाहती, मधुमक्षिकापालन संस्था व सर्वसाधारण वर्गीकरणातील संस्था | ५०         | ३५         | १५+५       | १०५  |

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष**

**भाग - अ एकूण गुण — ५०**

**सहकारी साखर कारखाने व फळे भाजीपाला संस्था, खरेदी विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था वगळून इतर प्रकारच्या संस्थांसाठी**

| अ.क्र | तपशील                                                                              | पैकी गुण | एकूण गुण |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १     | <b>नोंदणी</b>                                                                      |          | ३        |
|       | अ १० वर्षापूर्वी झाली असल्यास                                                      | १        |          |
|       | ब १५ वर्षापूर्वी झाली असल्यास                                                      | २        |          |
|       | क २० वर्षापूर्वी झाली असल्यास                                                      | ३        |          |
| २     | <b>मागील १० वर्षातील वार्षिक सर्वसाधारण सभा</b>                                    |          | ४        |
|       | अ १० वर्षात १० वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                                     | ४        |          |
|       | ब १० वर्षात ७ ते ९ वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                                 | ३        |          |
|       | क १० वर्षात ५ ते ६ वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                                 | २        |          |
|       | ड १० वर्षात ५ पेक्षा कमी वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                           | १        |          |
| ३     | <b>संचालक सभा</b>                                                                  |          | ४        |
|       | अ मागील सलग १० वर्षात दरमहा १ प्रमाणे कमीत कमी १२० सभा घेतल्या असल्यास             | ४        |          |
|       | ब मागील सलग ७ वर्षात दरमहा १ प्रमाणे कमीत कमी ८४ सभा घेतल्या असल्यास               | ३        |          |
|       | क मागील सलग ५ वर्षात दरमहा १ प्रमाणे कमीत कमी ६० सभा घेतल्या असल्यास               | २        |          |
|       | ड ५ वर्षापेक्षा कमी सलग कालावधीत दरमहा १ प्रमाणे ६० पेक्षा कमी सभा घेतल्या असल्यास | ०        |          |
| ४     | <b>नफा / तोटा</b>                                                                  |          | १०       |
|       | अ मागील सलग १० वर्षे नफा असल्यास                                                   | १०       |          |
|       | ब मागील सलग ७ वर्षे नफा असल्यास                                                    | ७        |          |
|       | क मागील सलग ५ वर्षे नफा असल्यास                                                    | ५        |          |
|       | ड मागील सलग ३ वर्षे नफा असल्यास                                                    | ३        |          |
|       | इ मागील सलग २ वर्षे पेक्षा कमी कालावधीत नफा असल्यास                                | २        |          |
| ५     | <b>थकबाकी</b>                                                                      |          | ५        |
|       | अ १० वर्षात ५ % पेक्षा कमी थकबाकी असल्यास                                          | ५        |          |
|       | ब १० वर्षात ५% ते १० % पेक्षा कमी थकबाकी असल्यास                                   | ३        |          |
|       | क १० वर्षात १०% ते १५ % पेक्षा कमी थकबाकी असल्यास                                  | २        |          |
|       | ड १० वर्षात १५% ते २० % पेक्षा कमी थकबाकी असल्यास                                  | १        |          |
|       | इ १० वर्षात २० % किंवा त्यापेक्षा जास्त थकबाकी असल्यास                             | ०        |          |

|    |                                                                 |                                                                                          |       |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ६  | <b>कायदेशीर कारवाई (कलम ७७-अ / ७८ / ७९अ / ८३ / ८८ )</b>         |                                                                                          |       | ३ |
|    | अ                                                               | नोंदणीपासून कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही                                            | ३     |   |
|    | ब                                                               | नोंदणीपासून कलम ७७-अ अन्वये कारवाई झाली असल्यास                                          | २     |   |
|    | क                                                               | कलम ७८ / ७९अ / ८३ / ८८ कोणतीही कारवाई झाली असल्यास                                       | ०     |   |
| ७  | <b>विहित मुदतीत लेखापरीक्षण अहवाल व दोष दुरुस्ती अहवाल सादर</b> |                                                                                          |       | ८ |
|    | अ                                                               | मागील नियमित सलग १० वर्ष 'अ' वर्ग मिळाला असल्यास                                         | ६ + २ |   |
|    | ब                                                               | मागील नियमित सलग ८ वर्ष 'अ' वर्ग मिळाला असल्यास                                          | ४ + २ |   |
|    | क                                                               | मागील नियमित सलग ५ वर्ष 'अ' वर्ग मिळाला असल्यास                                          | २ + २ |   |
|    | ड                                                               | ५ पेक्षा कमी वर्ष 'अ' वर्ग मिळाला असल्यास                                                | ०     |   |
| ८  | <b>निवडणूक</b>                                                  |                                                                                          |       | ५ |
|    | अ                                                               | मागील तीन निवडणुका मुदतीत घेतल्या असल्यास                                                | ५     |   |
|    | ब                                                               | मागील दोन निवडणुका मुदतीत घेतल्या असल्यास                                                | ३     |   |
|    | क                                                               | मागील एक निवडणूक मुदतीत घेतली असल्यास                                                    | २     |   |
|    | ड                                                               | वेळेत निवडणूक घेतली नसल्यास                                                              | ०     |   |
| ९  | <b>व्यवस्थापन</b>                                               |                                                                                          |       | २ |
|    | अ                                                               | निबंधकांनी ठरवून दिलेले कर्मचारी नियुक्त केले असल्यास                                    | २     |   |
|    | ब                                                               | निबंधकांनी ठरवून दिलेल्यापेक्षा जादा कर्मचारी नियुक्त केले असल्यास                       | १     |   |
| १० | <b>निधी गुंतवणूक</b>                                            |                                                                                          |       | २ |
|    | अ                                                               | नियमाप्रमाणे सर्व निधीची गुंतवणूक (राखीव निधी, इमारत निधी, संशयित बुडीत निधी इ.) केल्यास | २     |   |
|    | ब                                                               | नियमाप्रमाणे अंशतः निधीची गुंतवणूक केल्यास                                               | १     |   |
|    | क                                                               | नियमाप्रमाणे निधीची गुंतवणूक न केल्यास                                                   | ०     |   |
| ११ | <b>संचालक, पदाधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण</b>                    |                                                                                          |       | २ |
|    | अ                                                               | संस्थेच्या संचालक, पदाधिकारी, कर्मचारी या सर्वांना प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले असल्यास    | २     |   |
|    | ब                                                               | वरील एका घटकास प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले असल्यास                                        | १     |   |
|    | क                                                               | वरील एकाही घटकास प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले नसल्यास                                      | ०     |   |
| १२ | <b>शासनास विवरणपत्र (रिटर्न्स) सादर केलेबाबत</b>                |                                                                                          |       | २ |
|    | अ                                                               | २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षासाठी शासनास विवरणपत्र (रिटर्न्स) सादर केलेले असल्यास           | २     |   |
|    | ब                                                               | वरील पैकी एका वर्षासाठी शासनास विवरणपत्र (रिटर्न्स) सादर केलेले असल्यास                  | १     |   |
|    | क                                                               | वरील वर्षापैकी एकदाही शासनास विवरणपत्र (रिटर्न्स) सादर केलेले नसल्यास                    | ०     |   |

**टिप :-**

- १) पुरस्कारासाठी पात्र संस्थेची सन २०२३ - २४ या वर्षाची माहिती NCD पोर्टलवर अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. ज्या संस्थांची सन २०२३ - २४ या वर्षाची माहिती NCD पोर्टलवर अद्ययावत नाही अशा संस्थांची NCD पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करूनच त्यांचे सहकार पुरस्कारासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत.
- २) ज्या संस्था मागील पाच वर्षांपासून तोटयात आहेत अशा संस्था पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात यावेत.
- ३) ज्या संस्थावर मागील पाच वर्षात कायदा कलम ८३ व ८८ ची कारवाई करण्यात आली आहे व दोषी ठरविण्यात आले आहे अशा संस्था पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात याव्यात.
- ४) संस्थेस ज्या प्रकारचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या प्रकारच्या पुरस्कारासाठी ती संस्था पुढील ५ वर्ष त्याच पुरस्कारासाठी पुन्हा पात्र राहणार नाही.
- ५) अ. क्र. ८ बाबत शासनाने / राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने मुदतवाढ दिलेली असल्यास सदर वाढीव मुदत विचारात घ्यावी.
- ६) अ. क्र. २ बाबत शासनाने वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिलेली असल्यास (उदा. कोरोना प्रादुर्भाव ) सदर वाढीव मुदत विचारात घेण्यात यावी.

**भाग-क**  
**सहकारी साखर कारखाने व**  
**फळे भाजीपाला संस्था, खरेदी विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था वगळून**  
**इतर प्रकारच्या संस्थांसाठी**

| समाजाभिमुख कामकाज                         |                                                                                            |                                            |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| एकूण गुण १५ (सहकारी संस्थेसाठी ) + ५ = २० |                                                                                            |                                            |          |
| अ.क्र.                                    | बाब                                                                                        |                                            | एकूण गुण |
| १                                         | सहकारी संस्थेसाठी योगदान                                                                   |                                            | ५        |
|                                           | अ                                                                                          | सहकारी संस्थांसाठी नेतृत्व                 |          |
|                                           | ब                                                                                          | सहकारी संस्थासाठी आर्थिक उन्नतीसाठी कामकाज |          |
|                                           | क                                                                                          | विशेष कार्य                                |          |
| २                                         | लोकांसाठी केलेले योगदान                                                                    |                                            | ५        |
|                                           | अ                                                                                          | शासकीय योजनेत लोकसहभाग                     |          |
|                                           | ब                                                                                          | सहकार प्रचार, प्रसार व प्रसिध्दी           |          |
|                                           | क                                                                                          | विशेष कार्य                                |          |
| ३                                         | सहकार चळवळीच्या विकासासाठी प्रयत्न                                                         |                                            | ५        |
|                                           | अ                                                                                          | शिबीर / चर्चासत्र आयोजित करणे              |          |
|                                           | ब                                                                                          | संचालक / सभासद / कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण  |          |
|                                           | क                                                                                          | शासकीय उपक्रमात सहभाग                      |          |
|                                           | ड                                                                                          | बचत गट प्रबोधन                             |          |
| ४                                         | कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार सहकारी / धर्मादाय / सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निधी दिलेल्या संस्थांना |                                            | ५        |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब

एकूण गुण - ३५

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था / विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था

| अ.क्र. | तपशील                                                                    | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | खातेदार सभासद                                                            |          | ४        |
|        | अ कार्यक्षेत्रातील ८० % पेक्षा जास्त ते १००% पात्र खातेदार सभासद असल्यास | ४        |          |
|        | ब कार्यक्षेत्रातील ६० % पेक्षा जास्त ते ८० % पात्र खातेदार सभासद असल्यास | ३        |          |
|        | क कार्यक्षेत्रातील ५० % पेक्षा जास्त ते ६०% पात्र खातेदार सभासद असल्यास  | २        |          |
|        | ड कार्यक्षेत्रातील ५०% पर्यंत पात्र खातेदार सभासद असल्यास                | १        |          |
| २      | कमाल मर्यादा पत्रकाप्रमाणे कर्ज वाटप                                     |          | ३        |
|        | अ ८० % पेक्षा जास्त ते १०० % कमाल मर्यादा पत्रकाप्रमाणे पीक कर्ज वाटप    | ३        |          |
|        | ब ६० % पेक्षा जास्त ते ८० % कमाल मर्यादा पत्रकाप्रमाणे पीक कर्ज वाटप     | २        |          |
|        | क ४० % पेक्षा जास्त ते ६० % कमाल मर्यादा पत्रकाप्रमाणे पीक कर्ज वाटप     | १        |          |
| ३      | सभासद पातळीवरील सहकारी कर्ज वसुली (मागील पाच वर्षात)                     |          | ५        |
|        | अ मुदतीत १०० % कर्ज वसुली केली असल्यास                                   | ५        |          |
|        | ब ८० % पेक्षा जास्त ते १००% पेक्षा कमी कर्ज वसुली केली असल्यास           | ४        |          |
|        | क ७० % पेक्षा जास्त ते ८०% कर्ज वसुली केली असल्यास                       | ३        |          |
|        | ड ६० % पेक्षा जास्त ते ७०% कर्ज वसुली केली असल्यास                       | २        |          |
| ४      | बिगर शेती इतर व्यवसाय                                                    |          | ५        |
|        | अ खत विक्री केंद्र / किटकनाशक विक्री केंद्र                              | १        |          |
|        | ब रेशन दुकान / कापड दुकान                                                | १        |          |
|        | क गोडाऊन सेवा                                                            | १        |          |
|        | ड इतर शेतीपूरक व्यवसाय उदा. कांडप, पेट्रोलपंप, अडत दुकान इ.              | १        |          |
|        | इ शेती अवजारे विक्री केंद्र व इतर कोणतेही बिगर शेती व्यवसाय              | १        |          |
|        | फ वरीलपैकी काहीही व्यवसाय नसल्यास                                        | ०        |          |

|    |                                         |                                                                  |   |   |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|
| ५  | नफा / तोटा                              |                                                                  |   | ५ |
|    | अ                                       | मागील सलग पाच वर्ष नफा व मागील सलग पाच वर्षे लाभांश दिला असल्यास | ५ |   |
|    | ब                                       | मागील सलग पाच वर्ष नफा व मागील सलग तीन वर्षे लाभांश दिला असल्यास | ४ |   |
|    | क                                       | मागील सलग पाच वर्ष नफा व लाभांश दिला नसल्यास                     | ३ |   |
|    | ड                                       | मागील सलग तीन वर्ष नफा व लाभांश दिला नसल्यास                     | २ |   |
| ६  | स्थावर मालमत्ता                         |                                                                  |   | ४ |
|    | अ                                       | संस्था कार्यालय व गोडाऊन / गाळा असल्यास                          | ४ |   |
|    | ब                                       | वरीलपैकी एक असल्यास                                              | २ |   |
|    | क                                       | वरील काही नसल्यास                                                | ० |   |
| ७  | शेतमाल तारण कर्ज                        |                                                                  |   | २ |
|    | अ                                       | शेतमाल तारण असल्यास                                              | २ |   |
|    | ब                                       | शेतमाल तारण नसल्यास                                              | ० |   |
| ८  | वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार कामकाज |                                                                  |   | ३ |
|    | अ                                       | सीएएस (CAS) प्रमाणे दप्तर ठेवले असल्यास                          | ३ |   |
|    | ब                                       | सीएएस (CAS) प्रमाणे दप्तर ठेवले नसल्यास                          | ० |   |
| ९  | सीआरएआर (CRAR)                          |                                                                  |   | २ |
|    | अ                                       | ७ % किंवा त्यापेक्षा जास्त सीआरएआर असल्यास                       | २ |   |
|    | क                                       | ७ % पेक्षा कमी सीआरएआर असल्यास                                   | ० |   |
| १० | संगणकीकरण                               |                                                                  |   | २ |
|    | अ                                       | संस्था कामकाज संपूर्ण संगणकीकृत असल्यास                          | २ |   |
|    | ब                                       | संस्था कामकाज अंशतः संगणकीकृत असल्यास                            | १ |   |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब

एकूण गुण - ३५

नागरी पतसंस्था, ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था, पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था

| अ.क्र | तपशिल                                                                                                                                        | पैकी गुण | एकूण गुण |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १     | <b>बाहेरून कर्ज उभारण्याची मर्यादा</b>                                                                                                       |          | ५        |
|       | अ मागील आर्थिक वर्षात स्वनिधीच्या १० पटीपेक्षा कमी बाहेरील कर्ज उभारले असल्यास                                                               | ५        |          |
|       | ब मागील आर्थिक वर्षात स्वनिधीच्या १० पटीपेक्षा जास्त बाहेरील कर्ज उभारले असल्यास                                                             | ०        |          |
| २     | <b>वैधानिक तरलता आणि रोखता गुंतवणूक</b>                                                                                                      |          | ५        |
|       | अ मागील आर्थिक वर्षात पोटनियमातील तरतुदीस अधिन राहून १०० % गुंतवणुक केलेली असल्यास                                                           | ५        |          |
|       | ब मागील आर्थिक वर्षात पोटनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करून गुंतवणूक केलेली असल्यास अथवा गुंतवणुकीचे प्रमाण पोटनियमातील तरतुदीपेक्षा कमी असल्यास | ०        |          |
| ३     | <b>वैधानिक तरलता आणि रोखता व्यतिरिक्त असणाऱ्या इतर अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक</b>                                                              |          | ३        |
|       | अ मागील आर्थिक वर्षात अतिरिक्त निधीची गुंतवणुक पोटनियमातील तरतुदीप्रमाणे केलेली असल्यास                                                      | ३        |          |
|       | ब मागील आर्थिक वर्षात अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक पोटनियमातील तरतुदीप्रमाणे केलेली नसल्यास                                                      | ०        |          |
| ४     | <b>कर्जमर्यादेनुसार कर्जवाटप</b>                                                                                                             |          | ५        |
|       | अ मागील आर्थिक वर्षात पोटनियमातील तरतुदीनुसार वैयक्तिक कर्जमर्यादेचे पालन केलेले असल्यास                                                     | ५        |          |
|       | ब मागील आर्थिक वर्षात पोटनियमातील तरतुदीनुसार वैयक्तिक कर्जमर्यादेचे पालन केलेले नसल्यास                                                     | ०        |          |
| ५     | <b>संचालक मंडळ आणि त्यांचे नातेवाईक यांना देण्यात आलेली कर्जे</b>                                                                            |          | २        |
|       | अ कार्यरत संचालक मंडळ कार्यकालामध्ये पोटनियमातील तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळ आणि नातेवाईक यांना कर्ज वाटप असल्यास                              | २        |          |
|       | ब कार्यरत संचालक मंडळ कार्यकालामध्ये पोटनियमातील तरतुदीचा भंग करून संचालक मंडळ आणि नातेवाईक यांना कर्ज वाटप असल्यास                          | ०        |          |
| ६     | <b>खेळत्या भांडवलाशी कर्जाचे प्रमाण</b>                                                                                                      |          | २        |
|       | अ मागील आर्थिक वर्षात खेळत्या भांडवलाशी ६०% ते ७५ % या प्रमाणात कर्जाचे प्रमाण असल्यास                                                       | २        |          |
|       | ब मागील आर्थिक वर्षात खेळत्या भांडवलाशी ६०% ते ७५ % या प्रमाणात कर्जाचे प्रमाण नसल्यास                                                       | ०        |          |

|    |                                       |                                                                                                      |   |   |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ७  | <b>अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण</b>       |                                                                                                      |   | २ |
|    | अ                                     | मागील आर्थिक वर्षात अनुत्पादक कर्ज ५ % किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास                                  | २ |   |
|    |                                       | मागील आर्थिक वर्षात अनुत्पादक कर्ज ५ % पेक्षा जास्त असल्यास                                          | ० |   |
| ८  | <b>प्रशिक्षण</b>                      |                                                                                                      |   | २ |
|    | अ                                     | सेवक आणि संचालक मंडळ यांना मागील आर्थिक वर्षात निकषांप्रमाणे प्रशिक्षण दिलेले असल्यास                | २ |   |
|    | ब                                     | सेवक आणि संचालक मंडळ यांना मागील आर्थिक वर्षात निकषांप्रमाणे प्रशिक्षण दिलेले नसल्यास                | ० |   |
| ९  | <b>के.वाय.सी नॉर्मस</b>               |                                                                                                      |   | २ |
|    | अ                                     | ठेवीदार आणि खातेदार सभासद यांचे के.वाय.सी. नॉर्मस पूर्ण असल्यास                                      | २ |   |
|    | ब                                     | ठेवीदार आणि खातेदार सभासद यांचे के.वाय.सी. नॉर्मस पूर्ण नसल्यास                                      | ० |   |
| १० | <b>संगणकीकरण</b>                      |                                                                                                      |   | २ |
|    | अ                                     | संस्थेचे मुख्य कार्यालय आणि शाखा यांचे संपूर्णतः संगणकीकरण ऑनलाईन असल्यास                            | २ |   |
|    |                                       | संस्थेचे मुख्य कार्यालय आणि शाखा यांचे संपूर्णतः संगणकीकरण झालेले नसल्यास                            | ० |   |
| ११ | <b>व्यस्थापकीय खर्च</b>               |                                                                                                      |   | २ |
|    | अ                                     | मागील आर्थिक वर्षात व्यस्थापकीय खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाशी २.५० % किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास | २ |   |
|    | ब                                     | मागील आर्थिक वर्षात व्यस्थापकीय खर्चाचे प्रमाण खेळत्या भांडवलाशी २.५० % पेक्षा जास्त असल्यास         | ० |   |
| १२ | <b>सेवानियम नियमानुसार अंमलबजावणी</b> |                                                                                                      |   | १ |
|    | अ                                     | सेवानियम नियमानुसार अंमलबजावणी केलेली असल्यास                                                        | १ |   |
|    | ब                                     | सेवानियम नियमानुसार अंमलबजावणी केलेली नसल्यास                                                        | ० |   |
| १३ | <b>लाभांश वाटप</b>                    |                                                                                                      |   | २ |
|    | अ                                     | मागील सलग ५ वर्षे लाभांश वाटप केल्यास                                                                | २ |   |
|    | ब                                     | मागील सलग ३ वर्षे लाभांश वाटप केल्यास                                                                | १ |   |
|    | क                                     | मागील सलग ३ वर्षापेक्षा कमी लाभांश वाटप केल्यास                                                      | ० |   |

उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुरस्कारासाठीचे निकष

"अर्जाचा नमुना "

प्रपत्र अ :

बँकेची सर्वसाधारण माहिती

माहे मार्च २०२४ अखेर

|    |                                                                                                                                |                           |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| १  | बँकेचे नाव व पत्ता                                                                                                             |                           |                         |
| २  | स्थापना दिनांक                                                                                                                 |                           |                         |
| ३  | बँकिंग परवाना क्रमांक व दिनांक                                                                                                 |                           |                         |
| ४  | दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक                                                                                               |                           |                         |
| ५  | ई-मेल पत्ता                                                                                                                    |                           |                         |
| ६  | संकेतस्थळ / वेबसाईट                                                                                                            |                           |                         |
| ७  | बँक अध्यक्ष / प्रशासक यांचे नाव                                                                                                |                           |                         |
| ८  | बँक उपाध्यक्ष यांचे नाव                                                                                                        |                           |                         |
| ९  | मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी संचालक यांचे नाव                                                                           |                           |                         |
| १० | एकूण शाखा संख्या                                                                                                               |                           |                         |
| ११ | विस्तारित कक्ष संख्या                                                                                                          |                           |                         |
| १२ | लेखापरिक्षण वर्ग-वैधानिक लेखापरिक्षणानुसार                                                                                     | २०२२-२३ -                 | २०२३-२४ -               |
| १३ | नाबार्ड तपासणी                                                                                                                 | मागील नाबार्ड तपासणी वर्ष | मिळालेली ग्रेड / रेटिंग |
|    |                                                                                                                                |                           |                         |
| १४ | बँकेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ व ८८ अन्वये चौकशी / कारवाई चालू आहे काय ? असल्यास त्याबाबतची सद्यस्थिती |                           |                         |
| १५ | बँक बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ चे कलम ११ (१) प्रमाणे किमान भांडवल धारणेची पूर्तता करत आहे किंवा नाही.                         |                           |                         |
| १६ | नाबार्ड पुरस्कार मागील दोन वर्षांतील २०२२-२३ व २०२३-२४                                                                         |                           |                         |
| १७ | ISO मानांकन असल्यास तपशिल                                                                                                      |                           |                         |
| १८ | Rupay Debit Card सेवा कार्यान्वीत आहे / नाही                                                                                   |                           |                         |

प्रपत्र ब : पुरस्काराकरीता बँकेच्या आर्थिक स्थितीची माहिती

१. सांपत्तिक स्थिती

(रक्कम रु. लाख)

| तपशिल                                                                                                        | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| भाग भांडवल                                                                                                   |         |         |
| स्वनिधी                                                                                                      |         |         |
| ठेवी                                                                                                         |         |         |
| बाहेरील कर्ज                                                                                                 |         |         |
| गुंतवणूक                                                                                                     |         |         |
| दिलेली कर्ज                                                                                                  |         |         |
| खेळते भांडवल                                                                                                 |         |         |
| नफा / संचित तोटा (वजावट करून दर्शवावा)                                                                       |         |         |
| नेटवर्थ / नक्तमूल्य                                                                                          |         |         |
| सी.आर.ए.आर. %                                                                                                |         |         |
| सी.डी. रेशो %                                                                                                |         |         |
| ग्रॉस एन. पी. ए.- रक्कम                                                                                      |         |         |
| ग्रॉस एन. पी. ए. प्रमाण %                                                                                    |         |         |
| नेट एन.पी. ए.- प्रमाण %                                                                                      |         |         |
| थकबाकीचे प्रमाण %                                                                                            |         |         |
| फिनान्शियल मार्जीन (अव्हरेज यील्ड ऑन असेट्स उणे अव्हरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स)                                      |         |         |
| कॉस्ट ऑफ मॅनेजमेन्ट (पगार भत्ते + इतर भत्ते / वर्कींग फंड X 100)                                             |         |         |
| अव्हरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स (ठेवीवरील व्याज + बाहेरील कर्जावरील व्याज) / सरासरी ठेवी + सरासरी बाहेरील कर्ज X 100) |         |         |
| प्रतिसेवक उत्पादकता                                                                                          |         |         |

२) ठेवी

| तपशिल                      | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|----------------------------|---------|---------|
| लो कॉस्ट / CASA- रक्कम रु. |         |         |
| एकूण ठेवीशी प्रमाण %       |         |         |
| हाय कॉस्ट- रक्कम रु.       |         |         |
| एकूण ठेवीशी प्रमाण %       |         |         |
| एकूण                       |         |         |

३) कर्ज

अ) शेती कर्ज

(रु. लाखात)

| तपशिल           | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|-----------------|---------|---------|
| अल्प मुदत कर्ज  |         |         |
| मध्यम मुदत कर्ज |         |         |
| दीर्घ मुदत कर्ज |         |         |
| एकूण अ          |         |         |

ब) बिगरशेती कर्जे

| तपशिल                 | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|-----------------------|---------|---------|
| साखर कारखाना कर्ज     |         |         |
| इतर कॅश क्रेडीट कर्जे |         |         |
| वैयक्तिक कर्जे        |         |         |
| उर्वरित / इतर कर्जे   |         |         |
| एकूण ब                |         |         |
| एकूण (अ+ब)            |         |         |

क) अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा (खरीप व रब्बी)

| वर्ष    | उद्दिष्ट | पूर्तता |        | पूर्ततेचा जिल्ह्यातील एकूण पीककर्ज वाटपाशी हिस्सा % |
|---------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
|         |          | रक्कम   | प्रमाण |                                                     |
| २०२२-२३ |          |         |        |                                                     |
| २०२३-२४ |          |         |        |                                                     |

ड) प्राथमिक वि. का. स. सेवा सह. संस्था. सक्षम करण्यासाठी बँकेने केलेल्या उपाययोजना

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| संस्था व्यस्त / अनिष्ट तफावतीतून बाहेर काढणेसाठी केलेली मदत |  |
| संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणेसाठी केलेली मदत             |  |
| विकास संस्थांसाठी राबविलेल्या विशेष योजना-PDC इ.            |  |

४) रोखता व तरलता (सी.आर.आर. व एस.एल.आर.)

| तपशिल                                       | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| सी. आर.आर. चे सरासरी प्रमाण %               |         |         |
| एस. एल. आर. चे सरासरी प्रमाण %              |         |         |
| सी. आर. आर. चे उल्लंघन झाले असलेस किती वेळा |         |         |
| एस. एल. आर. चे उल्लंघन झाले असलेस किती वेळा |         |         |

५) व्यवसाय वृद्धीसाठी केलेले विशेष प्रयत्न / योजना

| तपशिल | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|-------|---------|---------|
|       |         |         |

६) संगणकीकरण

| अ.क्र. | तपशिल                                                                                             | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| १      | सीबीएस                                                                                            |         |         |
| २      | पूर्णतः सीबीएस (एकूण शाखा व मुख्य कार्यालय)                                                       |         |         |
| ३      | अंशतः सीबीएस (एकूण शाखा)                                                                          |         |         |
| ४      | एटीएम संख्या                                                                                      |         |         |
| ५      | आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / एनी ब्रॅच बँकिंग (ABB) सुविधा दिल्या जातात काय ? आयएफएस कोड आहे का ? |         |         |
| ६      | मोबाईल बँकिंग, एस.एम.एस. बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग सुविधा                                            |         |         |
| ७      | डाटा सेंटर / डी. आर. साईट (स्वतःचे किंवा भाड्याचे)                                                |         |         |
| ८      | सिस्टीम ऑडिट / डेटा मायग्रेशन ऑडिट केलेले आहे / नाही                                              |         |         |
| ९      | ABPS-आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम आहे / नाही                                                          |         |         |

७. समाजाभिमुख कामकाज

| अ.क्र. | तपशिल                                                | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|--------|------------------------------------------------------|---------|---------|
| १      | सहकारी संस्थेसाठी योगदान                             |         |         |
|        | अ सहकारी संस्थांसाठी नेतृत्व विकास कार्यक्रम         |         |         |
|        | ब सहकारी संस्थांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केलेले कामकाज |         |         |
|        | क विशेष कार्य                                        |         |         |
|        |                                                      |         |         |
| २      | जनतेसाठी दिलेले योगदान                               |         |         |
|        | अ शासकीय योजनेत लोक सहभाग                            |         |         |
|        | ब विशेष कार्य                                        |         |         |
| ३      | सहकारी चळवळीच्या विकासासाठी प्रयत्न                  |         |         |
|        | अ शिबिर, चर्चासत्र आयोजन                             |         |         |
|        | ब शासकीय उपक्रमात सहभाग                              |         |         |
|        | क सहकार प्रचार, प्रसार व प्रसिध्दी                   |         |         |
|        | ड बचत गट प्रबोधन                                     |         |         |
|        | इ शेतकरी मंडळ                                        |         |         |
|        | फ सभासद प्रशिक्षण                                    |         |         |

उक्त माहिती तपासली असल्याबाबत व बरोबर असल्याबाबत —

दिनांकासह सही व शिक्का

१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी संचालक

२. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था

३. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,

टिप :

१. अपूर्ण अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.
२. मागील वर्षी लेखापरिक्षण वर्ग-अ असणाऱ्या बँका पुरस्कारासाठी पात्र असतील.
३. प्रपत्र अ मधील मुद्दा क्रमांक १४ चे उत्तर 'होय' असणाऱ्या बँकांवर अद्याप तेच संचालक मंडळ कार्यरत असल्यास या बँका पुरस्कारासाठी अपात्र राहतील.
४. प्रपत्र अ मधील मुद्दा क्रमांक १५ चे उत्तर 'होय' असणाऱ्या बँका पुरस्कारासाठी अपात्र राहतील
५. अर्जासोबत मागील दोन वर्षांचे लेखापरिक्षण अहवाल व वार्षिक अहवाल जोडणे बंधनकारक आहे.
६. ज्या बँकावर मागील पाच वर्षात कायदा कलम ८३ व ८८ ची कारवाई करण्यांत आली आहे अशा बँका पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात याव्यात.
७. ज्या बँका मागील पाच वर्षांपासून तोट्यात आहेत अशा बँका पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात याव्यात.

**जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुरस्कारासाठी गुणतक्ता (एकूण गुण १५५)**

**१) सी.आर.ए.आर (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशिल                       | गुण |
|--------|-----------------------------|-----|
| १      | ९% पेक्षा जास्त             | १०  |
| २      | ७% पेक्षा जास्त व ९% पर्यंत | ०८  |
| ३      | ६% पेक्षा जास्त व ७% पर्यंत | ०६  |
| ४      | ५% पेक्षा जास्त व ६% पर्यंत | ०४  |
| ५      | ५% च्या आतील                | ०   |

**२) नेट मूल्य (नेट वर्थ) (एकूण गुण ०५)**

| अ.क्र. | तपशील                                              | गुण |
|--------|----------------------------------------------------|-----|
| १      | नेटवर्थ अधिक्य दर्शक असल्यास व लाभांश दिला असल्यास | ०५  |
| २      | नेटवर्थ अधिक्य दर्शक असल्यास व लाभांश दिला नसल्यास | ०३  |
| ३      | नेटवर्थ उणे असल्यास                                | ०   |

**३) सी.डी.रेशो (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशील                          | गुण |
|--------|--------------------------------|-----|
| १      | ८०% पेक्षा जास्त               | ००  |
| २      | ७५% पेक्षा जास्त ते ८०% पर्यंत | ०६  |
| ३      | ७०% पेक्षा जास्त ते ७५% पर्यंत | ०८  |
| ४      | ६५% पेक्षा जास्त ते ७०% पर्यंत | १०  |
| ५      | ६०% पेक्षा जास्त ते ६५% पर्यंत | ०८  |
| ६      | ५५% पेक्षा जास्त ते ६०% पर्यंत | ०६  |
| ७      | ५०% पेक्षा जास्त ते ५५% पर्यंत | ०४  |
| ८      | ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी       | ००  |

**४) ग्रॉस एन.पी. ए. (एकूण गुण ०५)**

| अ.क्र. | तपशील                          | गुण |
|--------|--------------------------------|-----|
| १      | ५% पर्यंत                      | ०५  |
| २      | ५% पेक्षा जास्त ते ८% पर्यंत   | ०४  |
| ३      | ८% पेक्षा जास्त ते १०% पर्यंत  | ०३  |
| ४      | १०% पेक्षा जास्त ते १५% पर्यंत | ०२  |
| ५      | १५% पेक्षा जास्त               | ००  |

**५) थकबाकीचे प्रमाण (एकूण गुण ०५)**

| अ.क्र. | तपशील                          | गुण |
|--------|--------------------------------|-----|
| १      | ५% पर्यंत                      | ०५  |
| २      | ५% पेक्षा जास्त ते ८% पर्यंत   | ०४  |
| ३      | ८% पेक्षा जास्त ते १०% पर्यंत  | ०३  |
| ४      | १०% पेक्षा जास्त ते १५% पर्यंत | ०२  |
| ५      | १५% पेक्षा जास्त               | ००  |

**६) कॉस्ट ऑफ मॅनेजमेंट (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशील                          | गुण |
|--------|--------------------------------|-----|
| १      | १.५% पर्यंत                    | १०  |
| २      | १.५% पेक्षा जास्त ते २% पर्यंत | ०९  |
| ३      | २% पेक्षा जास्त ते २.५% पर्यंत | ०५  |
| ४      | २.५ % पेक्षा जास्त             | ००  |

**७) बँक ठेवी (एकूण गुण २०)**

**अ) बँकेकडील एकूण ठेवी**

| अ.क्र. | तपशील                                          | गुण |
|--------|------------------------------------------------|-----|
| १      | रु. ५००० कोटी पेक्षा जास्त                     | १०  |
| २      | रु. ३००० कोटी पेक्षा जास्त ते ५००० कोटी पर्यंत | ०८  |
| ३      | रु. २००० कोटी पेक्षा जास्त ते ३००० कोटी पर्यंत | ०६  |
| ४      | रु. १००० कोटी पेक्षा जास्त ते २००० कोटी पर्यंत | ०३  |
| ५      | रु. १००० कोटी पर्यंत                           | ०१  |

**ब) कमी व्याज दराच्या ठेवीचे प्रमाण (लो कॉस्ट डिपॉझीट्स)**

| अ.क्र. | तपशील                          | गुण |
|--------|--------------------------------|-----|
| १      | ५०% पेक्षा जास्त               | १०  |
| २      | ४०% पेक्षा जास्त ते ५०% पर्यंत | ०८  |
| ३      | ३०% पेक्षा जास्त ते ४०% पर्यंत | ०६  |
| ४      | २०% पेक्षा जास्त ते ३०% पर्यंत | ०४  |
| ५      | २०% किंवा त्यापेक्षा कमी       | ००  |

**८) ॲव्हरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशील                        | गुण |
|--------|------------------------------|-----|
| १      | ५% पर्यंत                    | १०  |
| २      | ५% पेक्षा जास्त ते ६% पर्यंत | ०८  |
| ३      | ६% पेक्षा जास्त ते ७% पर्यंत | ०६  |
| ४      | ७% पेक्षा जास्त ते ८% पर्यंत | ०४  |
| ५      | ८% पेक्षा जास्त              | ००  |

**९) सी.आर.आर. / एस.एल.आर (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशील                                                         | गुण |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
| १      | सी.आर.आर. व एस.एल.आर. चे उल्लंघन झालेले नसल्यास               | १०  |
| २      | सी.आर.आर. चे उल्लंघन नाही परंतु एस.एल.आर. चे एक वेळा उल्लंघन  | ०८  |
| ३      | सी.आर.आर. चे उल्लंघन नाही परंतु एस.एल.आर. चे दोन वेळा उल्लंघन | ०६  |
| ४      | एस.एल.आर. चे उल्लंघन नाही परंतु सी.आर.आर. चे एक वेळा उल्लंघन  | ०४  |
| ५      | एस.एल.आर. चे उल्लंघन नाही परंतु सी.आर.आर. चे दोन वेळा उल्लंघन | ०२  |
| ६      | वरीलपेक्षा जास्त वेळेस सी.आर.आर व एस.एल.आर चे उल्लंघन         | ००  |

**१०) फिनान्शियल मार्जिन (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशील                          | गुण |
|--------|--------------------------------|-----|
| १      | ४ % पेक्षा जास्त               | १०  |
| २      | ३ % पेक्षा जास्त ते ४ % पर्यंत | ०८  |
| ३      | २ % पेक्षा जास्त ते ३ % पर्यंत | ०६  |
| ४      | १ % पेक्षा जास्त ते २ % पर्यंत | ०४  |
| ५      | १ % पर्यंत                     | ०२  |

**११) अल्प मुदत पीक कर्जपुरवठा (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशील                                                  | गुण |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| १      | दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे १०० % किंवा त्यापेक्षा जास्त | १०  |
| २      | ८० % पेक्षा जास्त ते ९९ % पर्यंत                       | ०८  |
| ३      | ७० % पेक्षा जास्त ते ८० % पर्यंत                       | ०६  |
| ४      | ६० % पेक्षा जास्त ते ७० % पर्यंत                       | ०४  |
| ५      | ५० % पेक्षा जास्त ते ६० % पर्यंत                       | ०२  |
| ६      | दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ५० % किंवा त्यापेक्षा कमी       | ००  |

**१२) प्राथमिक विकास संस्था सक्षम करण्यासाठी केलेल्या उपाय योजना (एकूण गुण १०)**

| अ.क्र. | तपशील                                                                | गुण |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| १      | संस्था व्यस्त / अनिष्ट तफावतीतून बाहेर काढण्यासाठी केलेली आर्थिक मदत | ०३  |
| २      | व्यस्त तफावतीतून बाहेर पडलेल्या संस्थांच्या प्रमाणात                 | ०३  |
| ३      | संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणेसाठी केलेली मदत                      | ०२  |
| ४      | विकास संस्थांसाठी राबविलेल्या विशेष योजना                            | ०२  |

**१३) संगणकीकरण (एकूण गुण १३)**

| अ.क्र. | तपशील                                                                          | गुण  | गुण  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| १      | सी.बी.एस.                                                                      |      | ५    |
|        | अ पूर्णतः सीबीएस (शाखा व मुख्य कार्यालय)                                       | ०५   |      |
|        | ब अंशतः सीबीएस (शाखा)                                                          | ०३   |      |
| २      | एटीएम संख्या                                                                   |      | ३    |
|        | अ एटीएम मशिन १५ पेक्षा जास्त बसविले असल्यास                                    | ०३   |      |
|        | ब एटीएम मशिन १० ते १५ असल्यास                                                  | ०२   |      |
|        | क एटीएम मशिन १० पेक्षा कमी असल्यास                                             | ०१   |      |
| ३      | इतर सुविधा                                                                     |      |      |
|        | अ आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी / एनी ब्रॅच बँकिंग सुविधा, आयएफएस कोड इ. सर्व सेवा | ०.५० | ०.५० |
|        | ब मोबाईल बँकिंग, एस.एम.एस. अलर्ट सेवा                                          | ०१   | ०१   |
| ४      | डाटा सेंटर व डी.आर. साईट स्वमालकीचे असल्यास                                    | ०.५० | ०.५० |
| ६      | सिस्टीम ऑडीट व डेटा मायग्रेशन ऑडिट                                             | ०१   | १    |
|        | अ सिस्टीम ऑडीट केले असल्यास                                                    | ०.५० |      |
|        | ब डेटा मायग्रेशन ऑडीट केले असल्यास                                             | ०.५० |      |
| ७      | आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम                                                       |      | २    |
|        | अ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम असल्यास                                             | ०२   |      |
|        | ब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम नसल्यास                                             | ००   |      |
|        | एकूण                                                                           |      | १३   |

**१४) व्यवस्थापन (एकूण गुण १२)**

| अ.क्र. | तपशील                                                            | गुण  | गुण  |
|--------|------------------------------------------------------------------|------|------|
| १      | संचालक मंडळ सभा पोटनियमानुसार आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या असल्यास    | ०१   | २.५० |
| २      | संचालक मंडळ सभा पोटनियमानुसार आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या नसल्यास    | ००   |      |
| ३      | कर्ज समिती सभा पोटनियमानुसार आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या असल्यास     | ०.५० |      |
| ४      | कर्ज समिती सभा पोटनियमाप्रमाणे आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या नसल्यास   | ००   |      |
| ५      | गुंतवणूक समिती सभा पोटनियमानुसार आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या असल्यास | ०.५० |      |
| ६      | गुंतवणूक समिती सभा पोटनियमानुसार आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या नसल्यास | ००   |      |
| ७      | ऑडिट कमिटी सभा पोटनियमानुसार आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या असल्यास     | ०.५० |      |
| ८      | ऑडिट कमिटी सभा पोटनियमानुसार आवश्यकतेप्रमाणे घेतल्या नसल्यास     | ००   |      |
| ९      | संचालक सदस्य यांना प्रशिक्षण दिले असल्यास                        | ०१   | ०२   |
| १०     | संचालक सदस्य यांना प्रशिक्षण दिले नसल्यास                        | ००   |      |
| ११     | कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले असल्यास                             | ०१   |      |
| १२     | कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले नसल्यास                             | ००   |      |

|    |                                                                                                      |      |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| १३ | नाबार्ड तपासणी दोष दुरुस्ती अहवाल वेळेत पाठविला असेल तर                                              | ०.५० | २.५०      |
| १४ | नाबार्ड तपासणी दोष दुरुस्ती अहवाल वेळेत पाठविला नसेल तर                                              | ००   |           |
| १५ | वैधानिक लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल वेळेत पाठविला असेल तर                                         | ०.५० |           |
| १६ | वैधानिक लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल वेळेत पाठविला नसेल तर                                         | ००   |           |
| १७ | नाबार्डचे ओ.एस.एस. स्टेटमेंट्स वेळेत पाठविली असल्यास                                                 | ०.५० |           |
| १८ | नाबार्डचे ओ.एस.एस. स्टेटमेंट्स वेळेत पाठविली नसल्यास                                                 | ००   |           |
| १९ | रिझर्व्ह बँकेचे स्टेटमेंट्स वेळेत पाठविली असल्यास                                                    | ०.५० |           |
| २० | रिझर्व्ह बँकेचे स्टेटमेंट्स वेळेत पाठविली नसल्यास                                                    | ००   |           |
| २१ | राज्य शासन व सहकार खाते यांच्याकडील विवरण पत्रके (Mandatory Returns) वेळे पाठविली असल्यास            | ०.५० |           |
| २२ | राज्य शासन व सहकार खाते यांच्याकडील विवरण पत्रके (Mandatory Returns) वेळे पाठविली नसल्यास            | ००   |           |
| २३ | व्यवसाय वृद्धीचा तपशील पाहून जास्तीत जास्त गुण                                                       | ०३   | ०३        |
| २४ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर रिझर्व्ह बँक / नाबार्ड च्या निकषाप्रमाणे पात्र / योग्य अधिकारी असल्यास | ०२   | ०२        |
| २५ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर रिझर्व्ह बँक/नाबार्ड च्या निकषाप्रमाणे पात्र/ योग्य अधिकारी नसल्यास    | ००   |           |
|    | <b>एकूण</b>                                                                                          |      | <b>१२</b> |

#### १५) समाजाभिमुख कामकाज (एकूण गुण १५)

| अ.क्र. | तपशील                                                                                             | गुण |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| १      | <b>सहकारी संस्थेसाठी योगदान</b>                                                                   | ०३  |
|        | अ सभासद प्रशिक्षण                                                                                 |     |
|        | ब सहकारी संस्थांचे आर्थिक उन्नतीसाठी केलेले कामकाज                                                |     |
|        | क विशेष कार्य                                                                                     |     |
| २      | <b>जनतेसाठी दिलेले योगदान</b>                                                                     | ०२  |
|        | अ शासकीय योजनेत लोकसहभाग / एफ एल सी ई.                                                            |     |
|        | ब विशेष कार्य                                                                                     |     |
| ३      | <b>सहकार चळवळीच्या विकासासाठी प्रयत्न</b>                                                         | ५   |
|        | अ शिबीर, चर्चासत्र आयोजन                                                                          |     |
|        | ब शासकीय उपक्रमात सहभाग                                                                           |     |
|        | क सहकार प्रचार, प्रसार, प्रसिध्दी                                                                 |     |
|        | ड बचत गट प्रबोधन                                                                                  |     |
|        | ई शेतकरी मंडळ                                                                                     |     |
| ४      | <b>कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार सहकारी / धर्मादाय / सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निधी दिलेल्या संस्थांना</b> | ५   |

**गुणतक्ता एकूण एकंदर**

| अ.क्र. | तपशिल                                                         | गुण |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
| १      | सी. आर. ए. आर.                                                | १०  |
| २      | नक्तमूल्य (नेटवर्थ)                                           | ०५  |
| ३      | सी. डी. रेशो                                                  | १०  |
| ४      | ग्रॉस एन.पी.ए.                                                | ०५  |
| ५      | थकबाकीचे प्रमाण                                               | ०५  |
| ६      | कॉस्ट ऑफ मॅनेजमेंट                                            | १०  |
| ७      | अ) एकूण ठेवी, ब) कमी व्याज दराच्या ठेवीचे प्रमाणे (लो कॉस्ट   | २०  |
| ८      | अव्हरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स                                        | १०  |
| ९      | सी.आर.आर. / एस.एल.आर.                                         | १०  |
| १०     | फिनान्शियल मार्जिन                                            | १०  |
| ११     | अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा                                      | १०  |
| १२     | प्राथमिक विकास सेवा संस्था सक्षम करणेसाठी केलेल्या उपाय योजना | ०७  |
| १३     | संगणकीकरण                                                     | १३  |
| १४     | व्यवस्थापन                                                    | १२  |
| १५     | समाजाभिमुख कामकाज                                             | १५  |
|        | एकूण गुण                                                      | १५५ |

टिप :

१. ज्या बँका मागील पाच वर्षांपासून तोट्यात आहेत अशा बँका पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात याव्यात.
२. ज्या बँकावर मागील पाच वर्षांत कायदा कलम ८३ व ८८ ची कारवाई करण्यांत आली आहे अशा बँका पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात याव्यात.
३. संस्थेस ज्या प्रकारचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या प्रकारच्या पुरस्कारासाठी ती संस्था पुढील ५ वर्ष अपात्र राहील.

अर्जाचा नमुना

प्रपत्र A बँकेची सर्वसाधारण माहिती

माहे मार्च 2024 अखेर

१) Name & Address of :

the Urban Coop Bank

२) Date of Registration :

३) Area of Operation & :

No. of Branches

४) Management — Name &

Tel No of Chairman :

Vice Chairman :

General Manager /C.E.O :

E Mail address :

Present grade of :

the bank (RBI)

Audit Classification for

Last 5 Years

५) Financial Information-

(Rs. in Lakhs)

|                       | 2022-23 | 2023-24 |
|-----------------------|---------|---------|
| Paid up Share Capital |         |         |
| Reserve               |         |         |
| C.R.A.R               |         |         |
| Net Profit            |         |         |
| Net Worth             |         |         |
| Deposit               |         |         |
| Borrowing             |         |         |
| Advances              |         |         |
| C.D. Ratio            |         |         |

६) Whether Enquiry u/s 88 of Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 of the bank was ordered ?

७) Whether RBI has given instructions u/s 35 of the Banking Regulation Act 1949 ?

- 1) C.R.A.R
- 2) Gross NPA %  
Net NPA %
- 3) Date of A.G.M in time in last 5 years

| 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         |         |

- 4) Information regarding monthly BOD meetings for last five years.  
(Minimum 1 meeting per month)

| 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         |         |

- 5) Return on Avg. Assets :- Profit before Tax

Average Total Assets

- 6) C.D. Ratio :-

Total Credit

Total Deposit + 75 % of Capital Fund

X 100

- 7) Ratio of Net Profit to Working Capital :-

- 8) Percentage of Nominal members to total members :-

- 9) Percentage of CASA deposite to total deposits :-

- 10) Ratio of Tier I Capital to Tier II Capital :-

- 11) Percentage of Divedend declared :-

- 12) Net Interest Margin = Interest Income — Interest paid on deposite

X 100

Average Total Assets

- 13) Ratio of non interest income to Total Income :-

- 14) Usage of Modern Technology in Banking :-

- 15) Cost of Management to working capital

= Total Expenses-(Interest paid + Provision for Taxation + other Provision)

x100

Net Working capital

(Net Working capital = Balance Sheet Total — Contra entry)

Seal Name & Sign of  
Statutory / Internal Auditor

Seal Name & Sign of  
Chief Executive Officer

टिप-

- १) अपूर्ण अर्ज निवडीसाठी पात्र असणार नाहीत.
- २) मागील ३ वर्षे लेखापरीक्षण 'अ' वर्ग असणा-या बँकाच पुरस्काराकरिता अर्ज करू शकतील.
- ३) प्रपत्र A मधील मुद्दा क्र. ६ चे उत्तर 'होय' असणाऱ्या बँका पुरस्काराकरिता अपात्र असतील.
- ४) अर्जासोबत मागील ३ वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल व वार्षिक अहवाल जोडणे बंधनकारक राहिल.
- ५) अंतिम निवडीस पात्र झालेल्या प्रथम ५ बँकांचे लेखापरीक्षण अहवालामध्ये गंभीर दोष असल्यास त्याची सखोल तपासणी / छाननी केली जाईल व त्यानुसार निवडीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
- ६) ज्या बँका मागील पाच वर्षांपासून तोटयात आहेत अशा बँका पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात याव्यात.
- ७) ज्या बँकावर मागील पाच वर्षात कायदा कलम ८३ व ८८ ची कारवाई करण्यांत आली आहे अशा बँका पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यांत याव्यात.
- ८) संस्थेस ज्या प्रकारचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या प्रकारच्या पुरस्कारासाठी ती संस्था पुढील ५ वर्षे अपात्र राहिल

## नागरी सहकारी बँका - गुणतक्ता

### 1. C.R.A.R

| Sr. No | C.R.A.R          | Marks |
|--------|------------------|-------|
| 1      | 12% < C.R.A.R    | 10    |
| 2      | 10% < CRAR ≤ 12% | 8     |
| 3      | 9% < CRAR ≤ 10%  | 5     |
| 4      | 9% = CRAR        | 3     |
| 5      | CRAR < 9%        | 0     |

### 2. N.P.A.

| A. | Gross N.P.A.        | Marks |
|----|---------------------|-------|
| 1  | Gross NPA ≤ 5%      | 5     |
| 2  | 5% < Gross NPA ≤ 7% | 3     |
| 3  | Gross NPA > 7%      | 0     |
| B. | Net N.P.A.          | Marks |
| 1  | Net N.P.A. < 1%     | 5     |
| 2  | 1% < Net N.P.A ≤ 3% | 3     |
| 3  | Net NPA > 3%        | 0     |

### 3. Cost of Management to Working Capital

| Sr.No | Cost of Management to Working Capital | Marks |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 1     | Cost ≤ 2%                             | 10    |
| 2     | 2% < Cost ≤ 2.5%                      | 8     |
| 3     | 2.5% < Cost ≤ 3%                      | 5     |
| 4     | 3% < Cost ≤ 4%                        | 3     |
| 5     | Cost > 4%                             | 0     |

### 4. Return on Avg. Assets

| Sr. No | Return on Avg. Assets  | Marks |
|--------|------------------------|-------|
| 1      | Return > 1.25%         | 10    |
| 2      | 1% < Return ≤ 1.25%    | 8     |
| 3      | 0.75% < Return ≤ 1%    | 5     |
| 4      | 0.50% < Return ≤ 0.75% | 3     |
| 5      | Return < 0.50%         | 0     |

Formula : Return on Average Assets =  $\frac{\text{Profit Before Tax}}{\text{Average Total Assets}}$

Average Total Assets

### 5. C.D. Ratio

| Sr. No | C.D. Ratio            | Marks |
|--------|-----------------------|-------|
| 1      | $65\% < CD < 70\%$    | 10    |
| 2      | $60\% < CD \leq 65\%$ | 8     |
| 3      | $55\% < CD \leq 60\%$ | 5     |
| 4      | $50\% < CD \leq 55\%$ | 3     |
| 5      | $CD < 50\%$           | 0     |

While calculating CD Ratio, kindly add 75% of Capital funds to the deposits.

### 6. Ratio of Net profit to Working Capital

| Sr. No | Ratio of Net profit to Working Capital | Marks |
|--------|----------------------------------------|-------|
| 1      | Ratio $> 2\%$                          | 10    |
| 2      | $1.75\% < \text{Ratio} \leq 2\%$       | 8     |
| 3      | $1.50\% < \text{Ratio} \leq 1.75\%$    | 5     |
| 4      | $1\% < \text{Ratio} \leq 1.50\%$       | 3     |
| 5      | Ratio $< 1\%$                          | 0     |

### 7. Percentage of Nominal members to total members

| Sr. No | Percentage of Nominal members to total members | Marks |
|--------|------------------------------------------------|-------|
| 1      | $P < 5\%$                                      | 10    |
| 2      | $10\% > P \geq 5\%$                            | 8     |
| 3      | $15\% > P \geq 10\%$                           | 5     |
| 4      | $20\% > P \geq 15\%$                           | 3     |
| 5      | $P \geq 20\%$                                  | 0     |

### 8. Percentage of CASA deposit to total deposits

| Sr. No | Percentage of CASA deposit to total deposits | Marks |
|--------|----------------------------------------------|-------|
| 1      | CASA $> 55\%$                                | 10    |
| 2      | $50\% < \text{CASA} \leq 55\%$               | 8     |
| 3      | $45\% < \text{CASA} \leq 50\%$               | 5     |
| 4      | $40\% < \text{CASA} \leq 45\%$               | 3     |
| 5      | $40\% > \text{CASA}$                         | 0     |

### 9. Ratio of Tier I Capital to Tier II Capital

| Sr. No | Ratio of Tier I Capital to Tier II Capital | Marks |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| 1      | Ratio $> 2\%$                              | 10    |
| 2      | $1.5\% < \text{Ratio} \leq 2\%$            | 8     |
| 3      | $1.25\% < \text{Ratio} \leq 1.5\%$         | 5     |
| 4      | $1\% < \text{Ratio} \leq 1.25\%$           | 3     |
| 5      | Ratio $< 1\%$                              | 0     |

**10. Percentage of Dividend declared**

| Sr. No | Percentage of Dividend declared | Marks |
|--------|---------------------------------|-------|
| 1      | Div > 14%                       | 10    |
| 2      | 12% < Div ≤ 14%                 | 8     |
| 3      | 10% < Div ≤ 12%                 | 5     |
| 4      | 8% < Div ≤ 10%                  | 3     |
| 5      | Div < 8%                        | 0     |
|        |                                 |       |

**11. Net Interest Margin (NIM)**

| Sr. No | Net Interest Margin | Marks |
|--------|---------------------|-------|
| 1      | NIM > 3.5%          | 10    |
| 2      | 3% < NIM ≤ 3.5%     | 8     |
| 3      | 2.5% < NIM ≤ 3%     | 5     |
| 4      | 1.5% < NIM ≤ 2.5%   | 3     |
| 5      | NIM ≤ 1.5%          | 0     |
|        |                     |       |

Formula: NIM =  $\frac{\text{Interest Income} - \text{Interest paid on deposits}}{\text{Average Total Assets}}$

**12. Ratio of non interest income to Total income**

| Sr. No | Ratio of non interest income to Total income | Marks |
|--------|----------------------------------------------|-------|
| 1      | Ratio > 5%                                   | 10    |
| 2      | 4% < Ratio ≤ 5%                              | 8     |
| 3      | 3% < Ratio ≤ 4%                              | 5     |
| 4      | Ratio = 3%                                   | 3     |
| 5      | Ratio < 3%                                   | 0     |
|        |                                              |       |

**13. Usage of Modern Technology in Banking**

| Sr. No | Usage of Modern Technology in Banking                                    | Marks |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1      | CBS, RUPAY ATM card, VISA card, Eco Banking, Mobile banking, SMS Banking | 10    |
| 2      | CBS, ATM connectivity with others banks, SMS Banking                     | 8     |
| 3      | CBS, ATM Branch connectivity (All Branches), RTGS / NEFT                 | 5     |
| 4      | CBS                                                                      | 3     |
| 5      | Non CBS (except Unit Banks)                                              | 0     |

**14. AGM held on or before 14 th August or 30 th September (As applicable)**

| <b>Sr. No</b> | <b>AGM held in stipulated period</b>    | <b>Marks</b> |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1             | For 5 times in last consecutive 5 years | 10           |
| 2             | For 4 times in last consecutive 5 years | 8            |
| 3             | For 3 times in last consecutive 5 years | 5            |
| 4             | For 2 times in last consecutive 5 years | 3            |
| 5             | Only once in last consecutive 5 years   | 0            |

**15. Board of Directors meetings held regularly once in a month**

| <b>Sr. No</b> | <b>Board of Directors meetings held regularly once in a month</b> | <b>Marks</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1             | For 5 years in last consecutive 5 years                           | 5            |
| 2             | For 4 years in last consecutive 5 years                           | 4            |
| 3             | For 3 years in last consecutive 5 years                           | 3            |
| 4             | For 2 years in last consecutive 5 years                           | 2            |
| 5             | For 1 year in last consecutive 5 years                            | 0            |

**16. Whether CEO / MD is confirming to fit and proper criteria as per R.B.I. guidelines**

|     |   |
|-----|---|
| YES | 5 |
| NO  | 0 |

**17. As per section 69 contribution given to Co-operative / Charitable / Public purpose.**

|     |   |
|-----|---|
| YES | 5 |
| No  | 0 |

**Total Marks — 155**

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब

एकूण गुण-३५

सहकारी साखर कारखाने

| अ.क्र. | तपशील                                                                                | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>गाळप क्षमता (किमान १६० दिवस)</b>                                                  |          | ५        |
|        | अ गाळप क्षमता १००% ते १२५% पेक्षा कमी वापरली असल्यास                                 | ५        |          |
|        | ब गाळप क्षमता ८०% ते १००% पेक्षा कमी वापरली असल्यास                                  | ३        |          |
|        | क गाळप क्षमता ६०% ते ८०% पेक्षा कमी वापरली असल्यास                                   | २        |          |
|        | ड ६०% पेक्षा कमी गाळप क्षमता वापरली असल्यास                                          | ०        |          |
|        | इ गाळप क्षमता १२५% ते १५०% पेक्षा कमी वापरली असल्यास                                 | ४        |          |
|        | ई गाळप क्षमता १५०% ते २००% पेक्षा कमी वापरली असल्यास                                 | ३        |          |
|        | फ गाळप क्षमता २००% किंवा त्यापेक्षा जास्त वापरली असल्यास                             | ०        |          |
| २      | <b>एफ.आर.पी. / एस. एम. पी. पेक्षा जास्त दर</b>                                       |          | ५        |
|        | अ मागील ३ वर्षात निव्वळ एफ.आर.पी. पेक्षा १०% जादा दर दिल्यास                         | ५        |          |
|        | ब मागील ३ वर्षात निव्वळ एफ.आर.पी. पेक्षा ५% जादा दर दिल्यास                          | ३        |          |
|        | क एफ.आर.पी. प्रमाणे दर दिल्यास                                                       | १        |          |
| ३      | <b>अ नक्तमूल्य व बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा</b>                                     |          |          |
|        | १ नक्तमूल्य मागील २ वर्षात अधिक (+) असल्यास व लाभांश दिला असल्यास                    | २        |          |
|        | २ नक्तमूल्य मागील १ वर्षात अधिक (+) असल्यास व लाभांश दिला असल्यास                    | १        |          |
|        | ३ मागील (लगतच्या) वर्षात नक्तमूल्य उणे (-) असल्यास                                   | ०        |          |
|        | <b>ब बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा</b>                                                 |          | १        |
|        | १ बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादेचे उल्लंघन झाले नसल्यास                                 | १        |          |
|        | २ बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादेचे उल्लंघन झाले असल्यास                                 | ०        |          |
|        |                                                                                      |          |          |
| ४      | <b>सहवीज निर्मिती प्रकल्प</b>                                                        |          | ५        |
|        | अ सहवीज प्रकल्प उभारणी केला असल्यास                                                  | २        |          |
|        | ब सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचा वापर ९०% ते १००% केला असल्यास                            | ३        |          |
|        | क सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचा वापर ७५% किंवा त्यापेक्षा जास्त व ९०% पेक्षा कमी असल्यास | १        |          |
|        | ड सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचा वापर ७५% पेक्षा कमी असल्यास                              | ०        |          |

| अ.क्र. | तपशील                                                                                                                       | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ५      | <b>साखरे व्यतिरिक्त इतर उत्पादित घटक निर्मिती</b>                                                                           |          | ३        |
|        | अ मद्यार्क निर्मिती / इथेनॉल निर्मिती / खत निर्मिती / बायोगॅस उभारणी केली असल्यास                                           | १        |          |
|        | ब मद्यार्क निर्मिती / इथेनॉल निर्मिती / खत निर्मिती / बायोगॅस प्रकल्पातून ८०% पेक्षा जास्त ते १००% वापर केला असल्यास        | २        |          |
|        | क मद्यार्क निर्मिती / इथेनॉल निर्मिती / खत निर्मिती / बायोगॅस प्रकल्पातून ६०% पेक्षा जास्त ते ८०% वापर केला असल्यास         | १        |          |
| ६      | <b>साखर निर्यात</b>                                                                                                         |          | १        |
|        | अ मागील सलग २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीत कच्ची किंवा पांढरी साखर निर्यात केली असल्यास                             | १        |          |
|        | ब मागील एक वर्षात कच्ची किंवा पांढरी साखर निर्यात केली असल्यास                                                              | ०.५      |          |
|        | क मागील एक वर्षात कच्ची किंवा पांढरी साखर निर्यात केली नसल्यास                                                              | ०        |          |
| ७      | <b>अ) ऊस विकास कार्यक्रम राबविणे</b>                                                                                        |          | ३        |
|        | अ ऊस विकास कार्यक्रम राबविला असल्यास ५ वर्षांपूर्वीच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा किमान १०% पेक्षा जास्त उत्पादकता वाढ असल्यास | ३        |          |
|        | ब ऊस विकास कार्यक्रम राबविला असल्यास ५ वर्षांपूर्वीच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा ५% ते १०% उत्पादकता वाढ असल्यास              | २        |          |
|        | क ऊस विकास कार्यक्रम राबविला असल्यास ५ वर्षांपूर्वीच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा किमान ५% पेक्षा कमी उत्पादकता वाढ असल्यास    | ०        |          |
|        | <b>ब) साखर उतारा</b>                                                                                                        |          | २        |
|        | अ मागील वर्षी, मागील ५ वर्षांच्या सरासरी साखर उतार्यापेक्षा ०.५०% पेक्षा जास्त साखर उतार्यात वाढ असल्यास                    | २        |          |
|        | ब मागील वर्षी, मागील ५ वर्षांच्या सरासरी साखर उतार्यापेक्षा ०.२५% ते ०.५० % साखर उतार्यात वाढ असल्यास                       | १        |          |
|        | क मागील वर्षी, मागील ५ वर्षांच्या सरासरी साखर उतार्यापेक्षा ०.२५% पेक्षा कमी साखर उतार्यात वाढ असल्यास                      | ०        |          |
| ८      | <b>रोजगार निर्मिती (मंजूर स्टाफ पॅटर्न प्रमाणे)</b>                                                                         |          | २        |
|        | अ मंजूर स्टाफ पॅटर्न प्रमाणे १००% रोजगार निर्मिती केली असल्यास व कारखाना नफ्यात असल्यास                                     | २        |          |
|        | ब मंजूर स्टाफ पॅटर्नच्या ७०% ते १०० % पेक्षा कमी रोजगार निर्मिती केली असल्यास व कारखाना नफ्यात असल्यास                      | १        |          |
|        | क मंजूर स्टाफ पॅटर्नच्या ७०% पेक्षा कमी रोजगार निर्मिती केली असल्यास                                                        | ०        |          |
|        | ड मंजूर स्टाफ पॅटर्नपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती केली असल्यास                                                               | ०        |          |

| अ.क्र. | तपशील                                                                                                                                                      | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ९      | <b>गोडावून उभारणी</b>                                                                                                                                      |          | १        |
|        | अ आवश्यक क्षमतेएवढी गोडावून उभारणी केली असल्यास                                                                                                            | १        |          |
|        | ब आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी गोडावून उभारणी केली असल्यास                                                                                                      | ०.५      |          |
|        | क गोडावून उभारणी केली नसल्यास                                                                                                                              | ०        |          |
| १०     | <b>शासकीय कर्ज व भागभांडवल परतफेड</b>                                                                                                                      |          | ३        |
|        | अ शासकीय कर्ज, भागभांडवल मुदतीत परतफेड केली असल्यास                                                                                                        | ३        |          |
|        | ब शासकीय कर्ज, भागभांडवल यांची ५०% पर्यंत थकबाकी असल्यास                                                                                                   | २        |          |
|        | क शासकीय कर्ज, भाग भांडवल यांची ५०% पेक्षा जास्त थकबाकी असल्यास                                                                                            | ०        |          |
| ११     | <b>कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण गाळप करुन कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस गाळपबाबत</b>                                                                                 |          | २        |
|        | अ कारखाना क्षमतेच्या ८०% ऊस कारखाना क्षेत्रातच ऊस उपलब्ध असून तो १००% गाळप केला असल्यास                                                                    | २        |          |
|        | ब कारखाना क्षमतेच्या ६०% ऊस कारखाना क्षेत्रातच ऊस उपलब्ध असून तो सर्व गाळप केला असल्यास व १०% पर्यंत कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस गाळप केला असल्यास             | १        |          |
|        | क कारखाना क्षमतेच्या ६०% पेक्षा कमी ऊस कारखानाक्षेत्रात उपलब्ध असून तो १००% गाळप केला असल्यास व २०% पेक्षा जास्त कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस गाळप केला असल्यास | ०        |          |

**भाग- क**  
**सहकारी साखर कारखाने**

| समाजाभिमुख कामकाज                         |                                                                                            |          |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| एकूण गुण १५ (सहकारी संस्थेसाठी) + १५ = ३० |                                                                                            |          |          |
| अ.क्र.                                    | बाब                                                                                        | पैकी गुण | एकूण गुण |
| १                                         | सहकारी संस्थेसाठी योगदान                                                                   |          | ५        |
|                                           | अ सहकारी संस्थांसाठी नेतृत्व                                                               | २        |          |
|                                           | ब सहकारी संस्थांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कामकाज                                              | २        |          |
|                                           | क विशेष कार्य                                                                              | १        |          |
| २                                         | लोकांसाठी केलेले योगदान                                                                    |          | ५        |
|                                           | अ शासकीय योजनेत लोकसहभाग                                                                   | २        |          |
|                                           | ब सहकार प्रचार, प्रसार व प्रसिध्दी                                                         | २        |          |
|                                           | क विशेष कार्य                                                                              | १        |          |
| ३                                         | सहकार चळवळीच्या विकासासाठी प्रयत्न                                                         |          | ५        |
|                                           | अ शिबीर / चर्चासत्र आयोजित करणे                                                            | २        |          |
|                                           | ब संचालक / सभासद व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण                                                | १        |          |
|                                           | क शासकीय उपक्रमात सहभाग                                                                    | १        |          |
|                                           | ड बचत गट प्रबोधन                                                                           | १        |          |
| ४                                         | अ कारखान्याच्या किमान ५० टक्के ऊस उत्पादन सभासदांनी ठिबक पध्दत केली नसल्यास                | १०       | १०       |
|                                           | ब कारखान्याच्या किमान ५० टक्के ऊस उत्पादक सभासदांनी ठिबक पध्दत केली नसल्यास                | ०        |          |
| ५                                         | कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार सहकारी / धर्मादाय / सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निधी दिलेल्या संस्थांना | ५        | ५        |

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष**

**भाग — ब एकूण गुण - ३५**

**सहकारी सूतगिरणी**

| अ.क्र. |                                                                                           | तपशिल                                                                              | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>कापूस उपयोगिता</b>                                                                     |                                                                                    |          | ३        |
|        | अ                                                                                         | कार्यक्षेत्रातील १००% कापूस उपयोगिता केली असल्यास                                  | ३        |          |
|        | ब                                                                                         | कार्यक्षेत्रातील ५० % पेक्षा जास्त ते १०० % पेक्षा कमी कापूस उपयोगिता केली असल्यास | २        |          |
|        | क                                                                                         | कार्यक्षेत्रातील किमान ५०% कापूस उपयोगिता केली असल्यास                             | १        |          |
| २      | <b>शासकीय कर्ज परतफेड</b>                                                                 |                                                                                    |          | ३        |
|        | अ                                                                                         | शासकीय कर्ज मुदतपूर्व परतफेड केली असल्यास                                          | ३        |          |
|        | ब                                                                                         | शासकीय कर्ज मुदतीत परतफेड केली असल्यास                                             | २        |          |
|        | क                                                                                         | शासकीय कर्ज मुदतीत परतफेड केली नसल्यास                                             | १        |          |
| ३      | <b>चात्याची क्षमता</b>                                                                    |                                                                                    |          | ४        |
|        | अ                                                                                         | ९० % पेक्षा जास्त चात्याची क्षमता वापरली असल्यास                                   | ४        |          |
|        | ब                                                                                         | ८० % पेक्षा जास्त ते ९० % चात्याची क्षमता वापरली असल्यास                           | ३        |          |
|        | क                                                                                         | ५० % पेक्षा जास्त ते ८० % चात्याची क्षमता वापरली असल्यास                           | २        |          |
|        | ड                                                                                         | ५० % पर्यंत चात्याची क्षमता वापरली नसल्यास                                         | ०        |          |
| ४      | <b>व्यवस्थापन खर्च</b>                                                                    |                                                                                    |          | ३        |
|        | अ                                                                                         | २ % पेक्षा कमी व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                             | ३        |          |
|        | ब                                                                                         | २ % ते ५ % पेक्षा कमी व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                      | २        |          |
|        | क                                                                                         | ५ % ते १० % पेक्षा कमी व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                     | १        |          |
|        | ड                                                                                         | १० % किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                | ०        |          |
| ५      | <b>रोजगार निर्मिती (मंजूर स्टाफिंग पॅटर्न प्रमाणे)</b>                                    |                                                                                    |          | २        |
|        | अ                                                                                         | मंजूर स्टाफ पॅटर्न प्रमाणे १००% रोजगार निर्मिती केली असल्यास                       | २        |          |
|        | ब                                                                                         | मंजूर स्टाफ पॅटर्नच्या किमान ७०% रोजगार निर्मिती केली असल्यास                      | १        |          |
|        | क                                                                                         | मंजूर स्टाफ पॅटर्नच्या ५० % किंवा त्यापेक्षा कमी रोजगार निर्मिती केली असल्यास      | ०        |          |
|        | ड                                                                                         | मंजूर स्टाफ पॅटर्नपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती केली असल्यास                        | ०        |          |
| ६      | <b>स्टँडींग नॉर्म्सप्रमाणे तांत्रिक गुणवत्ता (युनिट प्रोडक्शन) (४० कन्व्हर्शन काउंट )</b> |                                                                                    |          |          |
|        | अ                                                                                         | पी ग्राम ४० काउंट रुपांतरीत — १०१ ते ११० ग्रॅम                                     | २        |          |
|        | ब                                                                                         | पी ग्राम ४० काउंट रुपांतरीत — ८० ते १०० ग्रॅम                                      | १        |          |
|        | क                                                                                         | पी ग्राम ४० काउंट रुपांतरीत — ७९ व त्यापेक्षा कमी                                  | ०        |          |
| ७      | <b>सभासदांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन</b>                                             |                                                                                    |          | २        |
|        | अ                                                                                         | सभासदांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन केले असल्यास                                | २        |          |
|        | ब                                                                                         | सभासदांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन केले नसल्यास                                | ०        |          |

|    |                                                                                                      |                                                                                                           |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ८  | <b>गोडावून उभारणी</b>                                                                                |                                                                                                           |   | २ |
|    | अ                                                                                                    | आवश्यक क्षमतेएवढी गोडावून उभारणी केली असल्यास                                                             | २ |   |
|    | ब                                                                                                    | आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी गोडावून उभारणी केली असल्यास                                                       | १ |   |
|    | क                                                                                                    | गोडावून उभारणी केली नसल्यास                                                                               | ० |   |
| ९  | <b>उत्पादित माल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यात</b>                                                    |                                                                                                           |   | ३ |
|    | अ                                                                                                    | उत्पादित माल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास — ५० % किंवा त्यापेक्षा जास्त (उत्पादित मालाच्या) | ३ |   |
|    | ब                                                                                                    | उत्पादित माल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास — ३० % ते ५० % पेक्षा कमी (उत्पादित मालाच्या)     | २ |   |
|    | क                                                                                                    | उत्पादित माल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास — २० % ते ३० % पेक्षा कमी (उत्पादित मालाच्या)     | १ |   |
|    | ड                                                                                                    | उत्पादित माल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास — २० % पेक्षा कमी (उत्पादित मालाच्या)             | ० |   |
| १० | <b>सभासदांसाठी वैद्यकीय सुविधा</b>                                                                   |                                                                                                           |   | २ |
|    | अ                                                                                                    | सभासदांसाठी वैद्यकीय सुविधा उभारली असल्यास                                                                | २ |   |
|    | ब                                                                                                    | सभासदांसाठी वैद्यकीय सुविधा उभारली नसल्यास                                                                | ० |   |
| ११ | <b>नफा / तोटा</b>                                                                                    |                                                                                                           |   | ५ |
|    | अ                                                                                                    | मागील सलग ५ वर्षे नफा, १०% डिक्लिंड                                                                       | ५ |   |
|    | ब                                                                                                    | मागील सलग ५ वर्षात ४ वर्षे नफा, १०% डिक्लिंड                                                              | ४ |   |
|    | क                                                                                                    | मागील सलग ५ वर्षात ३ वर्षे नफा, १०% डिक्लिंड                                                              | ३ |   |
|    | ड                                                                                                    | मागील सलग ५ वर्षात २ वर्षे नफा, १०% डिक्लिंड                                                              | २ |   |
|    | इ                                                                                                    | मागील सलग ५ वर्षात १ वर्षे नफा, १०% डिक्लिंड                                                              | १ |   |
|    | ई                                                                                                    | मागील सलग ५ वर्षात तोटा असल्यास                                                                           | ० |   |
| १२ | <b>तांत्रिक गुणवत्ता (युनिट प्रोडक्शन) एचओके — ऑपरेटिंग एव्हर्स टु प्रोड्यूस १०० के.जी. ऑफ यार्न</b> |                                                                                                           |   | २ |
|    | अ                                                                                                    | एचओके १२ असल्यास                                                                                          | २ |   |
|    | ब                                                                                                    | एचओके १२.१ ते २०.० असल्यास                                                                                | १ |   |
|    | क                                                                                                    | एचओके २० पेक्षा अधिक असल्यास                                                                              | ० |   |
| १३ | <b>इलेक्ट्रीसिटी कन्झमशन — युनिट / के. जी.</b>                                                       |                                                                                                           |   | २ |
|    | अ                                                                                                    | ५ व त्यापेक्षा कमी                                                                                        | २ |   |
|    | ब                                                                                                    | ५.१ ते ७                                                                                                  | १ |   |
|    | क                                                                                                    | ७.१ व त्यापेक्षा अधिक                                                                                     | ० |   |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब

एकूण गुण - ३५

सहकारी दुग्ध संस्था / संघ

| अ. क्र. | तपशिल                                                    |                                                                 |                         |                       |                      |                       | पैकी गुण              | एकूण गुण |   |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|
| १       | खातेदार सभासद (मागील ५ वर्षात)                           |                                                                 |                         |                       |                      |                       |                       | ५        |   |
|         | अ                                                        | कार्यक्षेत्रातील १००% खातेदार सभासद असल्यास                     |                         |                       |                      |                       | ५                     |          |   |
|         | ब                                                        | कार्यक्षेत्रातील ८० % ते १०० % पेक्षा कमी खातेदार सभासद असल्यास |                         |                       |                      |                       | ४                     |          |   |
|         | क                                                        | कार्यक्षेत्रातील ७०% ते ८० % पेक्षा कमी खातेदार सभासद असल्यास   |                         |                       |                      |                       | ३                     |          |   |
|         | ड                                                        | कार्यक्षेत्रातील ६०% ते ७० % पेक्षा कमी खातेदार सभासद असल्यास   |                         |                       |                      |                       | २                     |          |   |
|         | इ                                                        | कार्यक्षेत्रातील ६०% पेक्षा कमी खातेदार सभासद असल्यास           |                         |                       |                      |                       | १                     |          |   |
| २       | मागील ५ वर्षातील सरासरी प्रति दिन दुध संकलन (लिटर मध्ये) |                                                                 |                         |                       |                      |                       |                       | ५        |   |
|         | प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था                             |                                                                 | तालुका सहकारी दुग्ध संघ |                       | जिल्हा संघ दुग्ध संघ | राज्य सह दुग्ध संघ    |                       |          |   |
|         | पश्चिम महाराष्ट्र                                        | उर्वरित महाराष्ट्र                                              | पश्चिम महाराष्ट्र       | उर्वरित महाराष्ट्र    |                      |                       |                       |          |   |
|         | अ                                                        | २,००० पेक्षा जास्त                                              | १,५०० पेक्षा जास्त      | १,००,००० पेक्षा जास्त | ७५,००० पेक्षा जास्त  | १,५०,००० पेक्षा जास्त | ७,००,००० पेक्षा जास्त |          | ५ |
|         | ब                                                        | १,५०१ ते २०००                                                   | १,००१ ते १५००           | ७५,००१ ते १,००,०००    | ५०,००१ ते ७५,०००     | १,२५,००१ ते १,५०,०००  | ६,००,००१ ते ७,००,०००  |          | ४ |
|         | क                                                        | १,००१ ते १५००                                                   | ५०१ ते १०००             | ५०,००१ ते ७५,०००      | ३०,००१ ते ५०,०००     | १,००,००१ ते १,२५,०००  | ५,००,००१ ते ६,००,०००  |          | ३ |
|         | ड                                                        | ५०१ ते १०००                                                     | २५१ ते ५००              | ३०,००१ ते ५०,०००      | २०,००१ ते ३०,०००     | ७५,००१ ते १,००,०००    | ४,००,००१ ते ५,००,०००  |          | २ |
|         | इ                                                        | २५० ते ५००                                                      | १०० ते २५०              | २०,००० ते ३०,०००      | १०,००० ते २०,०००     | ५०,००० ते ७५,०००      | ३,००,००० ते ४,००,०००  |          | १ |
| ३       | संस्थेचे इतर व्यवसाय                                     |                                                                 |                         |                       |                      |                       |                       | ५        |   |
|         | अ                                                        | पशुखाद्य विक्री केंद्र असल्यास                                  |                         |                       |                      |                       | ३                     |          |   |
|         | ब                                                        | वैद्यकीय सेवा असल्यास                                           |                         |                       |                      |                       | २                     |          |   |

|   |                                                                             |                                       |                              |                              |                              |                                 |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| ४ | मागील ५ वर्षांची द्रवपदार्थ (दुग्धजन्य) निर्मिती वार्षिक उलाढाल (रु. लाखात) |                                       |                              |                              |                              |                                 |                                   | ५ |   |
|   | प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था                                                |                                       | तालुका सहकारी दुग्ध संघ      |                              | जिल्हा दुध संघ               | राज्य सह. दुध संघ               |                                   |   |   |
|   | पश्चिम महाराष्ट्र                                                           | उर्वरित महाराष्ट्र                    | पश्चिम महाराष्ट्र            | उर्वरित महाराष्ट्र           |                              |                                 |                                   |   |   |
|   | अ                                                                           | ५० लाख पेक्षा जास्त                   | २५ लाख पेक्षा जास्त          | १ कोटी पेक्षा जास्त          | ७५ लाखपेक्षा जास्त           | २ कोटी पेक्षा जास्त             | ६०० कोटी पेक्षा जास्त             |   | ५ |
|   | ब                                                                           | २५ लाखपेक्षा जास्त ते ५० लाख          | २० लाखपेक्षा जास्त ते २५ लाख | ७५ लाखपेक्षा जास्त ते १ कोटी | ५० लाखपेक्षा जास्त ते ७५ लाख | १.५० कोटीपेक्षा जास्त ते २ कोटी | ५०० कोटी पेक्षा जास्त ते ६०० कोटी |   | ४ |
|   | क                                                                           | १५ लाखपेक्षा जास्त ते २५ लाख          | १५ लाखपेक्षा जास्त ते २० लाख | ५० लाखपेक्षा जास्त ते ७५ लाख | २५ लाखपेक्षा जास्त ते ५० लाख | १ कोटीपेक्षा जास्त ते १.५० कोटी | ४०० कोटी पेक्षा जास्त ते ५०० कोटी |   | ३ |
|   | ड                                                                           | १० लाखपेक्षा जास्त ते १५ लाख          | १० लाखपेक्षा जास्त ते १५ लाख | २५ लाखपेक्षा जास्त ते ५० लाख | १५ लाखपेक्षा जास्त ते २५ लाख | ७५ लाखपेक्षा जास्त ते १ कोटी    | ३०० कोटी पेक्षा जास्त ते ४०० कोटी |   | २ |
|   | इ                                                                           | ५ ते १० लाख                           | ५ ते १० लाख                  | १५ ते २५ लाख                 | १० ते १५ लाख                 | ५० लाख ते ७५ लाख                | २०० कोटी ते ३०० कोटी              |   | १ |
| ५ | शितकरण व पाश्चरायझेशन सुविधा                                                |                                       |                              |                              |                              |                                 | ६                                 |   |   |
|   | अ                                                                           | संस्थेचा स्वतःचा शितकरण प्रकल्प       |                              |                              |                              |                                 |                                   | ३ |   |
|   | ब                                                                           | संस्थेचा स्वतःचा पाश्चरायझेशन प्रकल्प |                              |                              |                              |                                 |                                   | ३ |   |
| ६ | संस्थेची स्वतःची वितरण व्यवस्था                                             |                                       |                              |                              |                              |                                 | ४                                 |   |   |
|   | अ                                                                           | स्थानिक पातळी                         |                              |                              |                              |                                 |                                   | २ |   |
|   | ब                                                                           | तालुका पातळी                          |                              |                              |                              |                                 |                                   | २ |   |
| ७ | संस्थेची स्वतःची गोडावून व वाहतूकीसाठी वाहनांची सुविधा                      |                                       |                              |                              |                              |                                 | ५                                 |   |   |
|   | अ                                                                           | गोडावून सुविधा                        |                              |                              |                              |                                 |                                   | २ |   |
|   | ब                                                                           | वाहन सुविधा                           |                              |                              |                              |                                 |                                   | ३ |   |

## सहकार पुरस्कारासाठीचे निकष

### सहकारी गृहनिर्माण संस्था

पात्रता :- १. ज्या वर्षाचा पुरस्कार द्यायचा आहे ते वर्ष ग्राह्य धरून ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी होऊन ५ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत अशाच संस्था स्पर्धेसाठी पात्र राहतील.

२. भाडेकरू सहभागीदारी (फ्लॅट टाईप) याच संस्था पात्र राहतील.

सदरचे पुरस्कार खालील नमूद २ गटातील संस्थांना स्वतंत्ररित्या देण्यात येतील.

गट अ — १०० पर्यंत सभासद संख्या असलेल्या संस्था

गट ब — १०० पेक्षा जास्त सभासद संख्या असलेल्या संस्था

एकूण गुण १०५

| अ. क्र. | तपशिल                                                                                                                | पैकी गुण                                                  | एकूण गुण |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| १       | १ मागील ५ वर्षातील सर्वसाधारण सभा एकूण गुण                                                                           |                                                           | १०       |
|         | मुदतीत सभा                                                                                                           |                                                           | ८        |
|         | अ ५ वर्षात ५ वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                                                                         | ८                                                         |          |
|         | ब ५ वर्षात ४ वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                                                                         | ६                                                         |          |
|         | क ५ वर्षात ३ वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                                                                         | ४                                                         |          |
|         | ड ५ वर्षात २ वेळा मुदतीत सभा घेतल्या असल्यास                                                                         | २                                                         |          |
|         | २ सभासद उपस्थिती                                                                                                     |                                                           | २        |
|         | अ सभेस ५०% पेक्षा जास्त सभासदांची उपस्थिती असल्यास                                                                   | २                                                         |          |
|         | ब सभेस ५०% पेक्षा जास्त सभासदांची उपस्थिती नसल्यास                                                                   | ०                                                         |          |
| २       | व्यवस्थापन समिती सभा                                                                                                 |                                                           | ५        |
|         | अ मागील सलग ५ वर्षात दरमहा १ प्रमाणे कमीत कमी ६० सभा घेतल्या असल्यास                                                 | ५                                                         |          |
|         | ब मागील सलग ५ वर्षात दरमहा १ प्रमाणे कमीत कमी ६० सभा घेतल्या नसल्यास                                                 | २                                                         |          |
| ३       | कायदेशीर कारवाई (कलम ७७/७८/७९(२)/८३/८८                                                                               |                                                           | ५        |
|         | अ नोंदणीपासून कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नसल्यास                                                                   | ५                                                         |          |
|         | ब नोंदणीपासून कलम ७७(अ) अन्वये कारवाई झाली असल्यास                                                                   | २                                                         |          |
|         | क कलम ७८/७९(२)/८३/८८ नुसार कोणतीही कारवाई झाली असल्यास                                                               | ०                                                         |          |
| ४       | लेखापरीक्षण अहवाल व दोष दुरुस्ती अहवाल                                                                               |                                                           | १०       |
|         | अ मागील ५ वर्षात सलग अ वर्ग मिळाला असल्यास व दोष दुरुस्ती विहीत मुदतीत सादर केली असल्यास                             | ८ (अ वर्ग) + २ (दोषदुरुस्ती अहवाल)                        |          |
|         | ब मागील ५ वर्षांपैकी ४ वर्षे 'अ' वर्ग व १ वर्ष 'ब' वर्ग मिळाला असल्यास व दोष दुरुस्ती विहीत मुदतीत सादर केली असल्यास | ६ (४ वेळा अ वर्ग + १ वेळा ब वर्ग) + २ (दोषदुरुस्ती अहवाल) |          |
|         | क मागील ५ वर्षांपैकी ३ वर्षे 'अ' वर्ग व २ वर्ष 'ब' वर्ग मिळाला असल्यास व दोष दुरुस्ती विहीत मुदतीत सादर केली असल्यास | ४ (३ वेळा अ वर्ग + २ वेळा ब वर्ग) + २ (दोषदुरुस्ती अहवाल) |          |

|    |                                         |                                                                                            |   |   |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ५  | संस्थेचे दफ्तर                          |                                                                                            |   | ४ |
|    | अ                                       | संस्था कामकाज संपूर्ण संगणीकृत असल्यास                                                     | १ |   |
|    |                                         | संस्था कामकाज संपूर्ण संगणीकृत नसल्यास                                                     | ० |   |
|    | ब                                       | सर्व भागदाखले दिले असल्यास                                                                 | १ |   |
|    |                                         | सर्व भागदाखले दिले नसल्यास                                                                 | ० |   |
|    | क                                       | सर्व नोंदवह्या असल्यास                                                                     | १ |   |
|    |                                         | सर्व नोंदवह्या नसल्यास                                                                     | ० |   |
|    | ड                                       | संस्थेचे अभिलेख योग्य जतन केले असल्यास                                                     | १ |   |
|    |                                         | संस्थेचे अभिलेख योग्य जतन केले नसल्यास                                                     | ० |   |
| ६  | सभासद तक्रारी (मागील ५ वर्षात)          |                                                                                            |   | ४ |
|    | अ                                       | एकूण सभासदांपैकी १० % पेक्षा जास्त सभासदांच्या तक्रारी असल्यास                             | ० |   |
|    | ब                                       | एकूण सभासदांपैकी ५ % पेक्षा जास्त व १० % पेक्षा कमी सभासदांच्या तक्रारी असल्यास            | २ |   |
|    | क                                       | एकूण सभासदांपैकी १ % पेक्षा जास्त सभासदांच्या व ५ % पेक्षा कमी सभासदांच्या तक्रारी असल्यास | ३ |   |
|    | ड                                       | एकूण सभासदांपैकी १ % किंवा त्यापेक्षा कमी सभासदांच्या तक्रारी असल्यास                      | ४ |   |
| ७  | सभासद नामनिर्देशन                       |                                                                                            |   | ५ |
|    | अ                                       | एकूण सभासदांपैकी ९० % पेक्षा जास्त सभासदांचे नामनिर्देशन झाले असल्यास                      | ५ |   |
|    | ब                                       | एकूण सभासदांपैकी ७० % ते ९० % सभासदांचे नामनिर्देशन झाले असल्यास                           | ३ |   |
|    | क                                       | एकूण सभासदांपैकी ७० % पेक्षा कमी सभासदांचे नामनिर्देशन झाले असल्यास                        | ० |   |
| ८  | देखभाल शुल्क (मागील ५ वर्षात)           |                                                                                            |   | ५ |
|    | अ                                       | एकूण सभासदांपैकी ८० % पेक्षा जास्त ते १०० % सभासदांची वर्गणी वसूल केली असल्यास             | ५ |   |
|    | ब                                       | एकूण सभासदांपैकी ७० % पेक्षा जास्त ते ८० % सभासदांची वर्गणी वसूल केली असल्यास              | ३ |   |
|    | क                                       | एकूण सभासदांपैकी ६० % पेक्षा जास्त ते ७० % सभासदांची वर्गणी वसूल केली असल्यास              | २ |   |
|    | इ                                       | एकूण सभासदांपैकी ६० % किंवा त्यापेक्षा कमी सभासदांची वर्गणी वसूल केली असल्यास              | १ |   |
| ९  | वसुलीची कारवाई (कलम १०१ / कलम १५४ ब-२९) |                                                                                            |   | ३ |
|    | अ                                       | सर्व थकबाकीदारांविरुद्ध कलम १०१ / कलम १५४ ब-२९ नुसार कारवाई केली असल्यास                   | ३ |   |
|    | ब                                       | सर्व थकबाकीदारांविरुद्ध कलम १०१ / कलम १५४ ब-२९ नुसार कारवाई केली नसल्यास                   | ० |   |
| १० | निधींची आकारणी व गुंतवणूक               |                                                                                            |   | ४ |
|    | १                                       | अ निक्षेप निधी नियमानुसार आकारून व स्वतंत्र गुंतवणूक केली असल्यास                          | १ |   |
|    |                                         | ब निक्षेप निधी नियमानुसार आकारून व स्वतंत्र गुंतवणूक केली नसल्यास                          | ० |   |
|    | २                                       | अ दुरुस्ती देखभाल निधी नियमानुसार आकारला असल्यास                                           | १ |   |
|    |                                         | ब दुरुस्ती देखभाल निधी नियमानुसार आकारला नसल्यास                                           | ० |   |
|    | ३                                       | अ राखीव निधींची स्वतंत्र गुंतवणूक केली असल्यास                                             | १ |   |
|    |                                         | ब राखीव निधींची स्वतंत्र गुंतवणूक केली नसल्यास                                             | ० |   |

|    |    |                                         |                                                                                                                |   |    |
|----|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    | ४  | अ                                       | शिक्षण निधी जमा केला असल्यास                                                                                   | १ |    |
|    |    | ब                                       | शिक्षण निधी जमा केला नसल्यास                                                                                   | ० |    |
| ११ |    | <b>निधी खर्च पद्धत (मागील ५ वर्षात)</b> |                                                                                                                |   | ६  |
|    | १  | अ                                       | पोटनियमातील तरतुदीनुसार मोठ्या दुरुस्तीसाठी निविदा पद्धतीचा वापर करत असल्यास                                   | ३ |    |
|    |    | ब                                       | पोटनियमातील तरतुदीनुसार मोठ्या दुरुस्तीसाठी निविदा पद्धतीचा वापर करत नसल्यास                                   | ० |    |
|    | २  | अ                                       | पोटनियमातील तरतुदीनुसार निधी अंदाजपत्रक शिर्षावार मंजूर करून खर्च त्यानुसार केला असल्यास                       | ३ |    |
|    |    | ब                                       | पोटनियमातील तरतुदीनुसार निधी अंदाजपत्रक शिर्षावार मंजूर करून खर्च त्यानुसार केला नसल्यास                       | ० |    |
| १२ |    | <b>नफा / तोटा</b>                       |                                                                                                                |   | ५  |
|    |    | अ                                       | संस्था नफ्यात असल्यास                                                                                          | ५ |    |
|    |    | ब                                       | संस्था तोट्यात असल्यास                                                                                         | ० |    |
| १३ |    | <b>इमारत सुविधा एकूण गुण</b>            |                                                                                                                |   | २० |
|    | १  | अ                                       | इमारत व संस्थेच्या आवारात स्वच्छता असल्यास                                                                     | २ |    |
|    |    | ब                                       | इमारत व संस्थेच्या आवारात स्वच्छता नसल्यास                                                                     | ० |    |
|    | २  | अ                                       | इमारत व इमारतीच्या आवारात सांडपाणी व्यवस्था योग्य असल्यास                                                      | २ |    |
|    |    | ब                                       | इमारत व इमारतीच्या आवारात सांडपाणी व्यवस्था योग्य नसल्यास                                                      | ० |    |
|    | ३  | अ                                       | पार्किंग व्यवस्था पोटनियमानुसार केली असल्यास                                                                   | २ |    |
|    |    | ब                                       | पार्किंग व्यवस्था पोटनियमानुसार केली नसल्यास                                                                   | ० |    |
|    | ४  | अ                                       | अंतर्गत विद्युत व्यवस्था योग्य असल्यास                                                                         | २ |    |
|    |    | ब                                       | अंतर्गत विद्युत व्यवस्था योग्य नसल्यास                                                                         | ० |    |
|    | ५  | अ                                       | संपूर्ण इमारतीचा विमा उतरविला असल्यास                                                                          | २ |    |
|    |    | ब                                       | संपूर्ण इमारतीचा विमा उतरविला नसल्यास                                                                          | ० |    |
|    | ६  | अ                                       | विद्युत प्रकाश व्यवस्था इमारतीत सर्व ठिकाणी योग्य प्रमाणात असल्यास                                             | २ |    |
|    |    | ब                                       | विद्युत प्रकाश व्यवस्था इमारतीत सर्व ठिकाणी योग्य प्रमाणात नसल्यास                                             | ० |    |
|    | ७  | अ                                       | संस्थेमध्ये कचरा व्यवस्थापन योग्यरितीने केले असल्यास                                                           | २ |    |
|    |    | ब                                       | संस्थेमध्ये कचरा व्यवस्थापन योग्यरितीने केले नसल्यास                                                           | ० |    |
|    | ८  | अ                                       | इमारतीच्या आवारात संस्थेने वृक्षारोपण केले असल्यास                                                             | २ |    |
|    |    | ब                                       | इमारतीच्या आवारात संस्थेने वृक्षारोपण केले नसल्यास                                                             | ० |    |
|    | ९  | अ                                       | संस्थेने सामुहिक सोलर सिस्टीम / सीएफएल दिवे बसविले असल्यास                                                     | २ |    |
|    |    | ब                                       | संस्थेने सामुहिक सोलर सिस्टीम / सीएफएल दिवे बसविले नसल्यास                                                     | ० |    |
|    | १० | अ                                       | संस्थेने वॉटर हार्वेस्टिंग केले असल्यास                                                                        | २ |    |
|    |    | ब                                       | संस्थेने वॉटर हार्वेस्टिंग केले नसल्यास                                                                        | ० |    |
| १४ |    | <b>अभिहस्तांतरण</b>                     |                                                                                                                |   | ५  |
|    |    | अ                                       | इमारत व जागेचे अभिहस्तांतरण झाले असल्यास                                                                       | ५ |    |
|    |    | ब                                       | इमारत व जागेचे अभिहस्तांतरण झाले नसल्यास व मानीव अभिहस्तांतरणासाठी निबंधक यांचे कार्यालयाकडे अर्ज केला असल्यास | ३ |    |
|    |    | क                                       | इमारत व जागेचे अभिहस्तांतरण झाले नसल्यास व मानीव अभिहस्तांतरणासाठी निबंधक यांचे कार्यालयाकडे अर्ज केला नसल्यास | ० |    |
| १५ |    | <b>तक्रार निवारण</b>                    |                                                                                                                |   | ५  |
|    |    | अ                                       | संस्था पातळीवर सभासदांच्या तक्रारीचे १०० % निराकरण होत असल्यास                                                 | ५ |    |
|    |    | ब                                       | संस्था पातळीवर सभासदांच्या तक्रारीचे १०० % निराकरण होत नसल्यास                                                 | ० |    |

|    |   |                                                                                                                            |   |   |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| १६ |   | <b>इतर कार्यामध्ये सहभाग</b>                                                                                               |   | २ |
|    | अ | शासकीय योजना उदा. मतदार नोंदणी, आधारकार्ड, नोंदणी, दुष्काळ किंवा भूकंप सहाय्यता निधी इ. मध्ये सहभाग असल्यास                | २ |   |
|    | ब | शासकीय योजना उदा. मतदार नोंदणी, आधारकार्ड, नोंदणी, दुष्काळ किंवा भूकंप सहाय्यता निधी इ. मध्ये सहभाग नसल्यास                | ० |   |
| १७ |   | <b>इतर विशेष कार्य</b>                                                                                                     |   | २ |
|    | अ | विशेष कार्यामध्ये उदा. रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वातंत्र्यदिन / प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रम आयोजित केले असल्यास | २ |   |
|    | ब | विशेष कार्यामध्ये उदा. रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वातंत्र्यदिन / प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रम आयोजित केले नसल्यास | ० |   |
| १८ | अ | कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार सहकारी / धर्मदाय / सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निधी दिलेल्या संस्थांना एकूण गुण                         | ५ | ५ |

टिप :

१. ज्या संस्थांवर मागील पाच वर्षांत कायदा कलम ८३ व ८८ ची कारवाई करण्यांत आली आहे अशा बँका पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात याव्यात.
२. संस्थेस ज्या प्रकारचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या प्रकारच्या पुरस्कारासाठी ती संस्था पुढील ५ वर्ष अपात्र राहील.

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब

एकूण गुण - ३५

औद्योगिक संस्था

| अ.क्र. |   | तपशिल                                                                         | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      |   | <b>कच्च्या मालाची उपयोगिता</b>                                                |          | ५        |
|        | अ | कार्यक्षेत्रातील ७५ % ते १००% कच्च्या मालाची उपयोगिता केली असल्यास            | ५        |          |
|        | ब | कार्यक्षेत्रातील ५० % ते ७५ % पेक्षा कमी कच्च्या मालाची उपयोगिता केली असल्यास | ३        |          |
|        | क | कार्यक्षेत्रातील २५ % ते ५० % पेक्षा कमी कच्च्या मालाची उपयोगिता केली असल्यास | २        |          |
|        | ड | कार्यक्षेत्रातील २५ % पेक्षा कमी कच्च्या मालाची उपयोगिता केली असल्यास         | १        |          |
| २      |   | <b>शासकीय निधी / कर्ज</b>                                                     |          | ५        |
|        | अ | शासकीय कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड केली असल्यास                                  | ५        |          |
|        | ब | शासकीय कर्जाची मुदतीत परतफेड केली असल्यास                                     | ३        |          |
|        | क | शासकीय कर्ज घेतले नसल्यास                                                     | २        |          |
|        | ड | शासकीय कर्जाची मुदतीत परतफेड केली नसल्यास                                     | ०        |          |
| ३      |   | <b>व्यवस्थापन खर्च</b>                                                        |          | ३        |
|        | अ | ५ % पर्यंत व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                            | ३        |          |
|        | ब | ५ % पेक्षा जास्त ते १० % पर्यंत व्यवस्थापन खर्च असल्यास                       | २        |          |
|        | क | १० % पेक्षा जास्त व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                     | ०        |          |
| ४      |   | <b>प्रशिक्षित सभासद</b>                                                       |          | २        |
|        | अ | ५० % ते १००% सभासद प्रशिक्षित असल्यास                                         | २        |          |
|        | ब | २५ % ते ५० % पेक्षा कमी सभासद प्रशिक्षित असल्यास                              | १        |          |
|        | क | २५ % पेक्षा कमी सभासद प्रशिक्षित असल्यास                                      | ०        |          |
| ५      |   | <b>पर्यावरण</b>                                                               |          | २        |
|        | अ | संस्थेने पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले असल्यास                   | २        |          |
|        | ब | संस्थेने पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्यास                   | ०        |          |
| ६      |   | <b>परिव्यव लेखापरिक्षण</b>                                                    |          | २        |
|        | अ | संस्थेने परिव्यव लेखापरिक्षण करून घेतले असल्यास                               | २        |          |
|        | ब | संस्थेने परिव्यव लेखापरिक्षण करून घेतले नसल्यास                               | ०        |          |

|    |   |                                                                                                                                                  |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ७  |   | <b>कर्मचारी विषयक</b>                                                                                                                            |   | ५ |
|    | अ | कर्मचारी भरती खात्याच्या पूर्वपरवानगीने केली असल्यास                                                                                             | १ |   |
|    | ब | सर्व कर्मचारी संगणक प्रशिक्षित असल्यास                                                                                                           | १ |   |
|    | क | महिला कर्मचारी / कामगार असल्यास व त्यांना अद्ययावत सुविधा दिली असल्यास                                                                           | १ |   |
|    | ड | कर्मचारी निवास सुविधा उपलब्ध करून दिली असल्यास                                                                                                   | १ |   |
|    | इ | कर्मचारी वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिली असल्यास                                                                                           | १ |   |
| ८  |   | <b>माल साठा</b>                                                                                                                                  |   | ३ |
|    | अ | आवश्यक साठवणूक क्षमतेच्या ७५ % ते १०० % साठवणूक क्षमता असल्यास                                                                                   | ३ |   |
|    | ब | आवश्यक साठवणूक क्षमतेच्या ५० % ते ७५ % पेक्षा कमी साठवणूक क्षमता असल्यास                                                                         | २ |   |
|    | ब | आवश्यक साठवणूक क्षमतेच्या ५० % पेक्षा कमी साठवणूक क्षमता असल्यास                                                                                 | १ |   |
| ९  |   | <b>उत्पादन / विक्री</b>                                                                                                                          |   | २ |
|    | अ | संस्था स्वतः विक्री करत असेल तर                                                                                                                  | २ |   |
|    | ब | संस्था स्वतः व दलालामार्फत विक्री करत असेल तर                                                                                                    | १ |   |
|    |   | संस्था पूर्णतः दलालामार्फत विक्री करत असेल तर                                                                                                    | ० |   |
| १० |   | <b>सामाजिक कार्य</b>                                                                                                                             |   | १ |
|    | अ | संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविले असल्यास                                                                                                          | १ |   |
|    | ब | संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविले नसल्यास                                                                                                          | ० |   |
| ११ |   | <b>नफा — तोटा</b>                                                                                                                                |   | ५ |
|    | अ | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणूक केली असल्यास + नफा विभागणीतून डिव्हीडंट वाटप केला असल्यास | ५ |   |
|    | ब | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणूक केली असल्यास                                              | ३ |   |
|    | क | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास                                                                                                                       | २ |   |
|    | ड | संस्थेस तोटा असल्यास                                                                                                                             | ० |   |

सहकारी संस्थेचे गुणवत्तेचे निकष

भाग — ब

एकूण गुण-३५

मजूर संस्था

| अ.क्र. | तपशिल                                                         | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>सभासद कामकाज</b>                                           |          | ५        |
|        | अ ७५% ते १००% सभासदांनी काम केले असल्यास                      | ५        |          |
|        | ब ५०% ते ७५ % पेक्षा कमी सभासदांनी काम केले असल्यास           | ३        |          |
|        | क २५% ते ५० % पेक्षा कमी सभासदांनी काम केले असल्यास           | २        |          |
|        | ड २५% पेक्षा कमी सभासदांनी काम केले असल्यास                   | १        |          |
| २      | <b>कामकाज मुदत</b>                                            |          | २        |
|        | अ मुदतीत कामे पार पाडली असल्यास                               | २        |          |
|        | ब मुदतीत कामे पार पाडली नसल्यास                               | ०        |          |
| ३      | <b>सदस्यांची सामाजिक सुरक्षितता</b>                           |          | ५        |
|        | अ सर्व सभासदांचा विमा उतरविला असल्यास                         | २        |          |
|        | ब सभासदांचे बँक खात्यावर मजूरीची रक्कम जमा होत असल्यास        | २        |          |
|        | क १००% सभासदांना ओळखपत्राचे वाटप केले असल्यास                 | १        |          |
| ४      | <b>अद्यावत तंत्रज्ञान</b>                                     |          | ५        |
|        | अ सभासदांना नविन तंत्रज्ञान व सामुग्री अवगत करून दिले असल्यास | २        |          |
|        | ब कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित असल्यास                            | २        |          |
|        | क संस्थेच्या कामकाजासाठी तंत्रज्ञ यांची नेमणूक केली असल्यास   | १        |          |
| ५      | <b>महिला कामगार प्रोत्साहन</b>                                |          | ३        |
|        | अ ७५% ते १००% महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास                 | ३        |          |
|        | ब ५०% ते ७५ % पेक्षा कमी महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास      | २        |          |
|        | क २५% ते ५० % पेक्षा कमी महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास      | १        |          |
|        | ड २५% पेक्षा कमी महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास              | ०        |          |
| ६      | <b>शासकीय निधी / कर्ज</b>                                     |          | ३        |
|        | अ शासकीय कर्ज / निधी उभारणी केली नसल्यास                      | ३        |          |
|        | ब शासकीय कर्ज / निधी मुदतीत परतफेड केली असल्यास               | २        |          |
|        | ब शासकीय कर्ज / निधी उभारून त्याची परतफेड केली नसल्यास        | ०        |          |
| ७      | <b>वित्तिय संस्थेचे अर्थसहाय्य</b>                            |          | ५        |
|        | अ वित्तिय संस्थेचे अर्थसहाय्य घेतले नसल्यास                   | ५        |          |
|        | ब वित्तिय संस्थेचे अर्थसहाय्य घेवून परतफेड केली असल्यास       | ३        |          |
|        | क वित्तिय संस्थेचे अर्थसहाय्य घेवून अदयाप परतफेड केली नसल्यास | ०        |          |

|   |   |                                                                                                                                                  |   |          |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| ८ |   | <b>सामाजिक कार्य</b>                                                                                                                             |   | <b>२</b> |
|   | अ | संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविला असल्यास                                                                                                          | २ |          |
|   | ब | संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविला नसल्यास                                                                                                          | ० |          |
| ९ |   | <b>नफा-तोटा</b>                                                                                                                                  |   | <b>५</b> |
|   | अ | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणुक केली असल्यास + नफा विभागणीतून डिव्हीडंड वाटप केला असल्यास | ५ |          |
|   | ब | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणुक केली असल्यास                                              | ३ |          |
|   | क | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास                                                                                                                       | २ |          |
|   | ड | संस्थेस तोटा असल्यास                                                                                                                             | ० |          |

सहकारी संस्थेचे गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब  
जंगल कामगार संस्था

एकूण गुण-३५

| अ.क्र. | तपशिल                                                         | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>सभासद कामकाज</b>                                           |          | ५        |
|        | अ ७५% ते १००% सभासदांनी काम केले असल्यास                      | ५        |          |
|        | ब ५०% ते ७५ % पेक्षा कमी सभासदांनी काम केले असल्यास           | ३        |          |
|        | क २५% ते ५० % पेक्षा कमी सभासदांनी काम केले असल्यास           | २        |          |
|        | ड २५% पेक्षा कमी सभासदांनी काम केले असल्यास                   | १        |          |
| २      | <b>कामकाज मुदत</b>                                            |          | २        |
|        | अ मुदतीत कामे पार पाडली असल्यास                               | २        |          |
|        | ब मुदतीत कामे पार पाडली नसल्यास                               | ०        |          |
| ३      | <b>सदस्यांची सामाजिक सुरक्षितता</b>                           |          | ५        |
|        | अ सर्व सभासदांचा विमा उतरविला असल्यास                         | २        |          |
|        | ब सभासदांचे बँक खात्यावर मजूरीची रक्कम जमा होत असल्यास        | २        |          |
|        | क १००% सभासदांना ओळखपत्राचे वाटप केले असल्यास                 | १        |          |
| ४      | <b>अद्यावत तंत्रज्ञान</b>                                     |          | ५        |
|        | अ सभासदांना नविन तंत्रज्ञान व सामुग्री अवगत करून दिले असल्यास | २        |          |
|        | ब कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित असल्यास                            | २        |          |
|        | क संस्थेच्या कामकाजासाठी तंत्रज्ञ यांची नेमणूक केली असल्यास   | १        |          |
| ५      | <b>महिला कामगार प्रोत्साहन</b>                                |          | ३        |
|        | अ ७५% ते १००% महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास                 | ३        |          |
|        | ब ५०% ते ७५ % पेक्षा कमी महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास      | २        |          |
|        | क २५% ते ५० % पेक्षा कमी महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास      | १        |          |
|        | ड २५% पेक्षा कमी महिला कुशल कामगार सभासद असल्यास              | ०        |          |
| ६      | <b>शासकीय निधी / कर्ज</b>                                     |          | ३        |
|        | अ शासकीय कर्ज / निधी उभारणी केली नसल्यास                      | ३        |          |
|        | ब शासकीय कर्ज / निधी मुदतीत परतफेड केली असल्यास               | २        |          |
|        | ब शासकीय कर्ज / निधी उभारून त्याची परतफेड केली नसल्यास        | ०        |          |
| ७      | <b>वित्तीय संस्थेचे अर्थसहाय्य</b>                            |          | ५        |
|        | अ वित्तीय संस्थेचे अर्थसहाय्य घेतले नसल्यास                   | ५        |          |
|        | ब वित्तीय संस्थेचे अर्थसहाय्य घेवून परतफेड केली असल्यास       | ३        |          |
|        | क वित्तीय संस्थेचे अर्थसहाय्य घेवून अदयाप परतफेड केली नसल्यास | ०        |          |

|   |   |                                                                                                                                                  |   |          |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| ८ |   | <b>सामाजिक कार्य</b>                                                                                                                             |   | <b>२</b> |
|   | अ | संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविला असल्यास                                                                                                          | २ |          |
|   | ब | संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविला नसल्यास                                                                                                          | ० |          |
| ९ |   | <b>नफा-तोटा</b>                                                                                                                                  |   | <b>५</b> |
|   | अ | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणुक केली असल्यास + नफा विभागणीतून डिव्हीडंड वाटप केला असल्यास | ५ |          |
|   | ब | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणुक केली असल्यास                                              | ३ |          |
|   | क | संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास                                                                                                                       | २ |          |
|   | ड | संस्थेस तोटा असल्यास                                                                                                                             | ० |          |

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष**  
**भाग — ब**  
**उपसा सिंचन संस्था / पाणी पुरवठा संस्था**

**एकूण गुण - ३५**

| अ.क्र. | तपशिल                                                                                                                                                | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>लाभक्षेत्रास पाणी पुरवठा</b>                                                                                                                      |          | ५        |
|        | अ ७५% ते १००% लाभक्षेत्रास पाणी पुरवठा केला असल्यास                                                                                                  | ५        |          |
|        | ब ५०% ते ७५ % पेक्षा कमी लाभक्षेत्रास पाणी पुरवठा केला असल्यास                                                                                       | ३        |          |
|        | क २५% ते ५० % पेक्षा कमी लाभक्षेत्रास पाणी पुरवठा केला असल्यास                                                                                       | २        |          |
|        | ड २५% पेक्षा कमी लाभक्षेत्रास पाणी पुरवठा केला असल्यास                                                                                               | १        |          |
| २      | <b>स्थावर मालमत्ता</b>                                                                                                                               |          | ५        |
|        | अ संस्थेची स्वमालकीची इमारत व यंत्रसामुग्री असल्यास                                                                                                  | ५        |          |
|        | ब संस्थेची भाडोत्री इमारत असल्यास                                                                                                                    | २        |          |
| ३      | <b>संस्था साधन सामुग्री व कर्मचारी सुरक्षितता</b>                                                                                                    |          | ५        |
|        | अ सर्व साधन सामुग्रीचा व सर्व कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरविला असल्यास                                                                                     | ५        |          |
|        | ब अंशतः साधन सामुग्रीचा व अंशतः कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरविला असल्यास                                                                                   | ३        |          |
|        | क फक्त कर्मचारी यांचा विमा उतरविला असल्यास                                                                                                           | २        |          |
|        | ड साधन सामग्री / कर्मचारी विमा उतरविला नसल्यास                                                                                                       | ०        |          |
| ४      | <b>अद्यावत तंत्रज्ञान</b>                                                                                                                            |          | ५        |
|        | अ सभासदांना नविन तंत्रज्ञान अवगत करून दिले असल्यास                                                                                                   | ५        |          |
|        | ब संस्थेच्या कामकाजासाठी तंत्रज्ञ यांची नेमणूक केली असल्यास                                                                                          | ३        |          |
|        | क कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित असल्यास                                                                                                                   | १        |          |
| ६      | <b>पाणीपट्टी वसुली</b>                                                                                                                               |          | ५        |
|        | अ ७५% ते १००% पाणीपट्टी वसुली असल्यास                                                                                                                | ५        |          |
|        | ब ५०% ते ७५ % पेक्षा कमी पाणीपट्टी वसुली असल्यास                                                                                                     | २        |          |
|        | क २५% ते ५० % पेक्षा कमी पाणीपट्टी वसुली असल्यास                                                                                                     | १        |          |
|        | ड २५% पेक्षा कमी पाणीपट्टी वसुली असल्यास                                                                                                             | ०        |          |
| ७      | <b>शासकीय निधी / कर्ज</b>                                                                                                                            |          | ३        |
|        | अ शासकीय कर्ज / निधी उभारणी केली नसल्यास                                                                                                             | ३        |          |
|        | ब शासकीय कर्ज / निधी मुदतीत परतफेड केली असल्यास                                                                                                      | २        |          |
|        | क शासकीय कर्ज / निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणूक केली असल्यास                                                                                    | १        |          |
| ८      | <b>सामाजिक कार्य</b>                                                                                                                                 |          | २        |
|        | अ संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविला असल्यास                                                                                                            | २        |          |
|        | ब संस्थेने सामाजिक उपक्रम राबविला नसल्यास                                                                                                            | ०        |          |
| ९      | <b>नफा / तोटा</b>                                                                                                                                    |          | ५        |
|        | अ संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागीणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणूक केली असल्यास + नफा विभागीणीतून डिव्हीडंट वाटप केला असल्यास | ५        |          |
|        | ब संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास + नफा विभागीणीतून राखीव निधी उभारून त्याची स्वतंत्र गुंतवणूक केली असल्यास                                               | ३        |          |
|        | क संस्थेस निव्वळ नफा असल्यास                                                                                                                         | २        |          |
|        | ड संस्थेस तोटा असल्यास                                                                                                                               | ०        |          |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब

एकूण गुण- ३५

हातमाग व यंत्रमाग संस्था

| अ.क्र | तपशील                                                                               | पैकी गुण | एकूण गुण |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १     | <b>सूत उपयोगिता</b>                                                                 |          | ५        |
|       | अ कार्यक्षेत्रातील १००% सूत उपयोगिता केली असल्यास                                   | ५        |          |
|       | ब कार्यक्षेत्रातील ७५ % पेक्षा जास्त ते १०० % पेक्षा कमी सूत उपयोगिता केली असल्यास  | ४        |          |
|       | क कार्यक्षेत्रातील ५० % पेक्षा जास्त ते ७५ % पेक्षा कमी सूत उपयोगिता केली असल्यास   | ३        |          |
|       | ड कार्यक्षेत्रातील २५ % पेक्षा जास्त ते ५० % पेक्षा कमी सूत उपयोगिता केली असल्यास   | २        |          |
|       | इ कार्यक्षेत्रातील १० % पेक्षा जास्त ते २५ % पेक्षा कमी सूत उपयोगिता केली असल्यास   | १        |          |
|       | ई कार्यक्षेत्रातील १०% किंवा त्यापेक्षा कमी सूत उपयोगिता केली असल्यास               | ०        |          |
| २     | <b>शासकीय कर्ज परतफेड</b>                                                           |          | ५        |
|       | अ शासकीय कर्ज मुदतपूर्व परतफेड केली असल्यास                                         | ५        |          |
|       | ब शासकीय कर्ज मुदतीत परतफेड केली असल्यास                                            | ३        |          |
|       | क शासकीय कर्ज मुदतपूर्व परतफेड केली नसल्यास                                         | ०        |          |
| ३     | <b>मागाची क्षमता</b>                                                                |          | ४        |
|       | अ ८० % पेक्षा जास्त ते १००% क्षमता वापरली असल्यास                                   | ४        |          |
|       | ब ५० % पेक्षा जास्त ते ८०% क्षमता वापरली असल्यास                                    | ३        |          |
|       | क ५०% पर्यंत क्षमता वापरली असल्यास                                                  | २        |          |
|       | ड चात्याची क्षमता वापरली नसल्यास                                                    | ०        |          |
| ४     | <b>व्यवस्थापन खर्च</b>                                                              |          | २        |
|       | अ ५% पेक्षा कमी व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                             | २        |          |
|       | ब ५% ते १०% पेक्षा कमी व्यवस्थापन खर्च असल्यास                                      | १        |          |
|       | क १०% पेक्षा जास्त व्यवस्थापन खर्च नसल्यास                                          | ०        |          |
| ५     | <b>रोजगारनिर्मिती सभासदनिहाय</b>                                                    |          | २        |
|       | अ सभासद पॅटर्नप्रमाणे ७० % पेक्षा जास्त ते १००% रोजगार निर्मिती केली असल्यास        | २        |          |
|       | ब सभासद पॅटर्नप्रमाणे १० % पेक्षा जास्त ते ७० % पर्यंत रोजगार निर्मिती केली असल्यास | १        |          |
|       | क सभासद पॅटर्नप्रमाणे १०% पर्यंत रोजगार निर्मिती केली असल्यास                       | ०        |          |
| ६     | <b>गोडावून उभारणी</b>                                                               |          | ५        |
|       | अ आवश्यक क्षमतेएवढी गोडावून उभारणी केली असल्यास                                     | ५        |          |
|       | ब आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी गोडावून उभारणी केली असल्यास                               | २        |          |
|       | क गोडावून उभारणी केली नसल्यास                                                       | ०        |          |

|   |                                        |                                                                  |   |   |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|
| ७ | उत्पादित माल राष्ट्रीय स्तरावर निर्यात |                                                                  |   | ५ |
|   | अ                                      | सलग १० वर्षे उत्पादित माल राष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास | ५ |   |
|   | ब                                      | सलग ७ वर्षे उत्पादित माल राष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास  | ३ |   |
|   | क                                      | सलग ५ वर्षे उत्पादित माल राष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास  | २ |   |
|   | ड                                      | सलग ३ वर्षे उत्पादित माल राष्ट्रीय स्तरावर निर्यात केला असल्यास  | ० |   |
| ८ | सभासदांसाठी वैद्यकीय सुविधा            |                                                                  |   | २ |
|   | अ                                      | सभासदांसाठी वैद्यकीय सुविधा उभारली असल्यास                       | २ |   |
|   | ब                                      | सभासदांसाठी वैद्यकीय सुविधा उभारली नसल्यास                       | ० |   |
| ९ | नफा/तोटा                               |                                                                  |   | ५ |
|   | अ                                      | सलग १० वर्षे नफा, १०% डिक्लीडंड                                  | ५ |   |
|   | ब                                      | सलग ७ वर्षे नफा, १०% डिक्लीडंड                                   | ४ |   |
|   | क                                      | सलग ५ वर्षे नफा, १०% डिक्लीडंड                                   | ३ |   |
|   | ड                                      | सलग ३ वर्षे नफा, १०% डिक्लीडंड                                   | २ |   |
|   | इ                                      | सलग ३ वर्षापेक्षा कमी नफा, १०% डिक्लीडंड                         | १ |   |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग — अ

एकूण गुण- ५०

फळेभाजीपाला संस्था, खरेदी-विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था

| अ.क्र | तपशील                                                             | पैकी गुण | एकूण गुण |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १     | <b>संस्थेची नोंदणी</b>                                            |          | ५        |
|       | अ संस्थेची नोंदणी १० वर्षांपूर्वी झाली असल्यास                    | ५        |          |
|       | ब संस्थेची नोंदणी ७ वर्षांपूर्वी झाली असल्यास                     | ३        |          |
|       | क संस्थेची नोंदणी ५ वर्षांपूर्वी झाली असल्यास                     | २        |          |
| २     | <b>वार्षिक सर्वसाधारण सभा</b>                                     |          | ५        |
|       | अ मागील ५ वर्षांतील वार्षिक सर्वसाधारण सभा मुदतीत घेतल्या असल्यास | ५        |          |
| ३     | <b>संचालक मंडळ</b>                                                |          | ५        |
|       | अ मागील सलग ५ वर्षांत दरमहा १ याप्रमाणे ६० सभा घेतल्या असल्यास    | ५        |          |
|       | ब मागील ५ वर्षांत कमीत कमी ४८ सभा घेतल्या असल्यास                 | ३        |          |
|       | क मागील ५ वर्षांत ४८ पेक्षा कमी सभा घेतल्या असल्यास               | ०        |          |
| ४     | <b>नफा तोटा</b>                                                   |          | ५        |
|       | अ मागील सलग ५ वर्ष नफा असल्यास                                    | ५        |          |
|       | ब मागील सलग ३ वर्ष नफा असल्यास                                    | ३        |          |
|       | क मागील सलग २ वर्ष नफा असल्यास                                    | २        |          |
| ५     | <b>थकबाकी</b>                                                     |          | ५        |
|       | अ मागील सलग ५ वर्षांत ५ % पेक्षा कमी थकबाकी असल्यास               | ५        |          |
|       | ब मागील सलग ५ वर्षांत ५ % ते ७ % पेक्षा कमी थकबाकी असल्यास        | ३        |          |
|       | क मागील सलग ५ वर्षांत ७ टक्के ते १० टक्के थकबाकी असल्यास          | २        |          |
| ६     | <b>संस्थेवर कायदेशीर कारवाई (कलम ७७, ७८, ८३, ८८ अन्वये)</b>       |          | ५        |
|       | अ मागील ५ वर्षांत संस्थेवर कोणतीही वैधानिक कारवाई झालेली नाही.    | ५        |          |
| ७     | <b>लेखापरिक्षण अहवाल</b>                                          |          | ५        |
|       | अ मागील सलग ५ वर्ष 'अ' वर्ग मिळाला असल्यास                        | ५        |          |
|       | ब मागील सलग ३ वर्ष 'अ' वर्ग मिळाला असल्यास                        | ३        |          |
|       | क मागील सलग २ वर्ष 'अ' वर्ग मिळाला असल्यास                        | २        |          |
| ८     | <b>दोषदुरुस्ती अहवाल</b>                                          |          | ५        |
|       | अ मागील सलग ५ वर्ष दोषदुरुस्ती अहवाल वेळेत सादर केला असल्यास      | ५        |          |
|       | ब मागील सलग ३ वर्ष दोषदुरुस्ती अहवाल वेळेत सादर केला असल्यास      | ३        |          |
|       | क मागील सलग २ वर्ष दोषदुरुस्ती अहवाल वेळेत सादर केला असल्यास      | २        |          |

|    |            |                                                                                                      |   |   |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ९  | निवडणूक    |                                                                                                      |   | ५ |
|    | अ          | मागील २ निवडणूका बिनविरोध झाल्या असल्यास                                                             | ३ |   |
|    | ब          | मागील २ निवडणूका बिनविरोध झाल्या नसल्यास                                                             | ० |   |
|    | क          | मागील २ निवडणूक मुदतीत घेतल्या असल्यास                                                               | २ |   |
|    | ड          | मागील २ निवडणूक मुदतीत घेतल्या नसल्यास                                                               | ० |   |
| १० | व्यवस्थापन |                                                                                                      |   | ५ |
|    |            | निबंधकांनी ठरवून दिलेल्या कलम ७४ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव यांची शैक्षणिक अर्हता आहे का ? |   |   |
|    | अ          | पदवीधर व्यवस्थापन पदविका प्राप्त केली असल्यास                                                        | ५ |   |
|    | ब          | पदवीधर असल्यास                                                                                       | ३ |   |
|    | क          | पदवीधर नसल्यास                                                                                       | २ |   |

**टिप :-**

- १) ज्या संस्था मागील पाच वर्षांपासून तोट्यात आहेत अशा संस्था पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात यावेत.
- २) ज्या संस्थावर मागील पाच वर्षांत कायदा कलम ८३ व ८८ ची कारवाई करण्यात आली आहे व दोषी ठरविण्यात आले आहे अशा संस्था पुरस्कारासाठी अपात्र ठरविण्यात यावेत.
- ३) संस्थेस ज्या प्रकारचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या प्रकारच्या पुरस्कारासाठी ती संस्था पुढील ५ वर्ष त्याच पुरस्कारासाठी पुन्हा पात्र राहणार नाही.
- ४) अ. क्र. ९ बाबत शासनाने / राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने मुदतवाढ दिलेली असल्यास सदर वाढीव मुदत विचारात घ्यावी.
- ५) अ. क्र. २ बाबत शासनाने वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिलेली असल्यास (उदा. कोरोना प्रादुर्भाव ) सदर वाढीव मुदत विचारात घेण्यात यावी.

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष**

**भाग — ब**

**एकूण गुण-३५**

**फळेभाजीपाला संस्था, खरेदी-विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था**

| अ.क्र. | तपशिल                                                                  | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>वार्षिक उलाढाल</b>                                                  |          | ५        |
|        | अ संस्थेची वार्षिक उलाढाल १० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास       | ५        |          |
|        | ब संस्थेची वार्षिक उलाढाल १ कोटीपेक्षा जास्त ते १० कोटी पर्यंत असल्यास | ३        |          |
|        | क संस्थेची वार्षिक उलाढाल १ कोटीपर्यंत असल्यास                         | २        |          |
| २.     | <b>निधी गुंतवणूक</b>                                                   |          | ५        |
|        | अ नियमाप्रमाणे राखीव व इतर निधीची १०० टक्के गुंतवणूक केली असल्यास      | ५        |          |
|        | ब नियमाप्रमाणे राखीव व इतर निधीची अंशतः गुंतवणूक केली असल्यास.         | ३        |          |
|        | क नियमाप्रमाणे निधीची गुंतवणूक न केल्यास.                              | ०        |          |
| ३      | <b>लाभांश</b>                                                          |          | ५        |
|        | अ मागील सलग ३ वर्ष लाभांश दिला असल्यास                                 | ५        |          |
|        | ब मागील सलग २ वर्ष लाभांश दिला असल्यास                                 | ३        |          |
|        | क मागील सलग १ वर्ष लाभांश दिला असल्यास                                 | २        |          |
| ४      | <b>संगणकीकरण</b>                                                       |          | ५        |
|        | अ संस्थेचे स्वतःचे संकेतस्थळ, लॅन व वॅन व संगणक सुविधा उपलब्ध असल्यास  | ५        |          |
|        | ब लॅन, वॅन व संगणक सुविधा उपलब्ध असल्यास                               | ३        |          |
|        | क संगणक सुविधा उपलब्ध असल्यास                                          | २        |          |
| ५      | <b>प्रशिक्षण (H.R.Training)</b>                                        |          | ५        |
|        | अ मागील २ वर्षात संचालक, अधिकारी व सेवक यांना प्रशिक्षण दिले असल्यास   | ५        |          |
|        | ब मागील २ वर्षात अधिकारी व सेवक यांना प्रशिक्षण दिले असल्यास           | ३        |          |
|        | क मागील २ वर्षात अंशतः प्रशिक्षण दिले गेले असल्यास                     | २        |          |
| ६      | <b>गोदाम व साठवणूक, वाहन व्यवस्था</b>                                  |          | ५        |
|        | अ गोदाम, शितगृह, प्रिकुलींग व्हॅन इत्यादींची सुविधा उपलब्ध असल्यास     | ५        |          |
|        | ब गोदाम व शितगृहाची सुविधा उपलब्ध असल्यास                              | ३        |          |
|        | क गोदामाची सुविधा उपलब्ध असल्यास                                       | २        |          |
| ७      | <b>शासकीय अर्थसहाय्य थकबाकी</b>                                        |          | ५        |
|        | अ शासकीय अर्थसहाय्य थकबाकी ५ % पेक्षा कमी असल्यास                      | ५        |          |
|        | ब शासकीय अर्थसहाय्य थकबाकी ५ % ते १० % असल्यास                         | ३        |          |
|        | क शासकीय अर्थसहाय्य थकबाकी १० % पेक्षा जास्त असल्यास                   | १        |          |

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष - समाजाभिमुख कामकाज**

**भाग — क**

**एकूण गुण-१५+५=२०**

**फळेभाजीपाला संस्था, खरेदी-विक्री संघ, प्रक्रिया संस्था व ग्राहक संस्था**

| अ.क्र. | तपशील                                                                                                                                     | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>सहकारी संस्थेचे सामाजिक योगदान</b>                                                                                                     |          | ५        |
|        | अ सहकारी संस्थेने आरोग्य, पर्यावरण, शैक्षणिक हे तीन सामाजिक उपक्रम राबविले असल्यास                                                        | ५        |          |
|        | ब सहकारी संस्थेने आरोग्य, पर्यावरण, शैक्षणिक यापैकी कोणतेही २ सामाजिक उपक्रम राबविले असल्यास                                              | ३        |          |
|        | क सहकारी संस्थेने आरोग्य, पर्यावरण, शैक्षणिक यापैकी कोणताही १ सामाजिक उपक्रम राबविला असल्यास                                              | २        |          |
| २      | <b>अभिनव उपक्रम</b>                                                                                                                       |          | ५        |
|        | अ सभासदांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचाविण्यासाठी बचतगट, क्रेडीट फॅसिलीटी, घरपोच सेवा हे तीन सामाजिक उपक्रम राबविले असल्यास             | ५        |          |
|        | ब सभासदांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचाविण्यासाठी बचतगट, क्रेडीट फॅसिलीटी, घरपोच सेवा यापैकी कोणतेही दोन सामाजिक उपक्रम राबविले असल्यास | ३        |          |
|        | क सभासदांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचाविण्यासाठी बचतगट, क्रेडीट फॅसिलीटी, घरपोच सेवा यापैकी कोणताही एक सामाजिक उपक्रम राबविला असल्यास  | २        |          |
| ३      | <b>सहकार चळवळीच्या विकासासाठी योगदान</b>                                                                                                  |          | ५        |
|        | अ सहकार चळवळीच्या विकासासाठी सभासद शिक्षण, प्रशिक्षण, सहकार सप्ताह हे उपक्रम राबविले असल्यास                                              | ५        |          |
|        | ब सहकार चळवळीच्या विकासासाठी सभासद शिक्षण, प्रशिक्षण, सहकार सप्ताह यापैकी कोणताही एक उपक्रम राबविला असल्यास                               | ३        |          |
|        | क सहकार चळवळीच्या विकासासाठी सभासद शिक्षण, प्रशिक्षण, सहकार सप्ताह यापैकी कोणताही उपक्रम राबविला नसल्यास                                  | ०        |          |
| ४      | कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार सहकारी / धर्मादाय / सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निधी दिलेल्या संस्थांना                                                | ५        | ५        |

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष**

**भाग - ब**

**एकूण गुण - ३५**

**कुक्कुट पालन / इमू पालन (शहामृग) व्यावसायिक सहकारी संस्था**

| अ.क्र. | तपशिल                                           |                                                                            | पैकी गुण         | एकूण गुण |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| १      | <b>खातेदार सभासद (मागील ५ वर्षात)</b>           |                                                                            |                  | ५        |
|        | अ                                               | कार्यक्षेत्रातील १००% खातेदार सभासद असल्यास                                | ५                |          |
|        | ब                                               | कार्यक्षेत्रातील ८०% पेक्षा जास्त ते १००% पेक्षा कमी खातेदार सभासद असल्यास | ४                |          |
|        | क                                               | कार्यक्षेत्रातील ७०% पेक्षा जास्त ते ८०% खातेदार सभासद असल्यास             | ३                |          |
|        | ड                                               | कार्यक्षेत्रातील ६०% पेक्षा जास्त ते ७०% खातेदार सभासद असल्यास             | २                |          |
|        | इ                                               | कार्यक्षेत्रातील ५०% पेक्षा जास्त ते ६०% खातेदार सभासद असल्यास             | १                |          |
| २      | <b>एकूण पक्षी (मागील ५ वर्षात)</b>              |                                                                            |                  | ५        |
|        |                                                 | कुक्कुट पालन                                                               | इमू पालन         |          |
|        | अ                                               | सरासरी ८००० पेक्षा जास्त                                                   | २५० पेक्षा जास्त |          |
|        | ब                                               | सरासरी ६००१ ते ८०००                                                        | २०१ ते २५०       |          |
|        | क                                               | सरासरी ४००१ ते ६०००                                                        | १५१ ते २००       |          |
|        | ड                                               | सरासरी २००१ ते ४०००                                                        | १०१ ते १५०       |          |
|        | इ                                               | सरासरी १५०० ते २०००                                                        | ५० ते १००        |          |
| ३      | <b>संस्थेचे इतर व्यवसाय / सुविधा</b>            |                                                                            |                  | ५        |
|        | अ                                               | पशुखाद्य विक्री केंद्र असल्यास                                             | ३                |          |
|        | ब                                               | वैद्यकीय सेवा केंद्र / सुविधा असल्यास                                      | २                |          |
| ४      | <b>वार्षिक उलाढाल (मागील ५ वर्षाची)</b>         |                                                                            |                  | ५        |
|        | अ                                               | रु. १.२५ कोटीपेक्षा जास्त                                                  | ५                |          |
|        | ब                                               | रु. १.०० कोटीपेक्षा जास्त ते रु. १.२५ कोटी                                 | ४                |          |
|        | क                                               | रु. ७५ लाखापेक्षा जास्त ते रु. १.०० कोटी                                   | ३                |          |
|        | ड                                               | रु. ५० लाखापेक्षा जास्त ते रु. ७५ लाख                                      | २                |          |
|        | इ                                               | रु. २५ लाख ते रु. ५० लाख                                                   | १                |          |
| ५      | <b>पक्षी पालन व्यवस्था</b>                      |                                                                            |                  | ६        |
|        | अ                                               | संस्थेचे स्वतःचे शेड व पिंजरे / जाळीचे कुंपण                               | २                |          |
|        | ब                                               | पक्ष्यांना खाणे / पाणी पुरवठा व्यवस्था                                     | २                |          |
|        | क                                               | स्वच्छता व्यवस्था                                                          | २                |          |
| ६      | <b>संस्थेची स्वतःची वितरण व्यवस्था</b>          |                                                                            |                  | ४        |
|        | अ                                               | तालुका स्तरावर                                                             | २                |          |
|        | ब                                               | स्थानिक पातळी                                                              | २                |          |
| ७      | <b>संस्थेची स्वतःची गोडावून व वाहतूक सुविधा</b> |                                                                            |                  | ५        |
|        | अ                                               | गोडावून सुविधा                                                             | २                |          |
|        | ब                                               | वाहन सुविधा                                                                | ३                |          |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग — ब

एकूण ३५ गुण

पशुसंवर्धन सहकारी संस्था

| अ.क्र | तपशिल                                                                        | पैकी गुण | एकूण गुण |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १     | <b>खातेदार सभासद (मागील ५ वर्षात)</b>                                        |          | ५        |
|       | अ कार्यक्षेत्रातील १००% खातेदार सभासद असल्यास                                | ५        |          |
|       | ब कार्यक्षेत्रातील ८०% पेक्षा जास्त ते १००% पेक्षा कमी खातेदार सभासद असल्यास | ४        |          |
|       | क कार्यक्षेत्रातील ७०% पेक्षा जास्त ते ८०% खातेदार सभासद असल्यास             | ३        |          |
|       | ड कार्यक्षेत्रातील ६०% पेक्षा जास्त ते ७०% खातेदार सभासद असल्यास             | २        |          |
|       | इ कार्यक्षेत्रातील ५०% पेक्षा जास्त ते ६०% खातेदार सभासद असल्यास             | १        |          |
| २     | <b>एकूण पशुंची संख्या (शेळी, मेंढी / वराह पालन) (मागील ५ वर्षात)</b>         |          | ५        |
|       | अ सरासरी मागील ५ वर्षात ४०० पेक्षा जास्त                                     | ५        |          |
|       | ब सरासरी मागील ५ वर्षात ३०० पेक्षा जास्त ते ४००                              | ४        |          |
|       | क सरासरी मागील ५ वर्षात २०० पेक्षा जास्त ते ३००                              | ३        |          |
|       | ड सरासरी मागील ५ वर्षात १०० पेक्षा जास्त ते २००                              | २        |          |
|       | इ सरासरी मागील ५ वर्षात ५० ते १००                                            | १        |          |
| ३     | <b>संस्थेचे इतर व्यवसाय /सुविधा</b>                                          |          | ५        |
|       | अ पशुखाद्य विक्री केंद्र असल्यास                                             | ३        |          |
|       | ब वैद्यकीय सेवा केंद्र / सुविधा असल्यास                                      | २        |          |
| ४     | <b>वार्षिक उलाढाल (सरासरी मागील ५ वर्षांची रुपयांमध्ये)</b>                  |          | ५        |
|       | अ २५ लाखापेक्षा जास्त                                                        | ५        |          |
|       | ब २० लाखापेक्षा जास्त ते २५ लाख                                              | ४        |          |
|       | क १५ लाखापेक्षा जास्त ते २० लाख                                              | ३        |          |
|       | ड १० लाखापेक्षा जास्त ते १५ लाख                                              | २        |          |
|       | इ ५ ते १० लाख                                                                | १        |          |
| ५     | <b>पशुपालन व्यवस्था</b>                                                      |          | ६        |
|       | अ संस्थेचे स्वतःचे शेड / कुंपण चराऊ जमीन                                     | २        |          |
|       | ब पशुंना खाणे / पाणी पुरवठा व्यवस्था                                         | २        |          |
|       | क स्वच्छता व्यवस्था                                                          | २        |          |
| ६     | <b>संस्थेची स्वतःची वितरण व्यवस्था</b>                                       |          | ४        |
|       | अ निर्यात व्यवसाय असल्यास                                                    | २        |          |
|       | ब तालुका स्तरावर असल्यास                                                     | १        |          |
|       | क स्थानिक पातळीवर असल्यास                                                    | १        |          |
| ७     | <b>संस्थेची स्वतःची साठवणूक व वाहतूक सुविधा</b>                              |          | ५        |
|       | अ वाहन सुविधा                                                                | २        |          |
|       | ब अद्यावत साठवण व्यवस्था                                                     | २        |          |
|       | क बर्फ पुरवठा                                                                | १        |          |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग — ब

एकूण ३५ गुण

मत्स्यपालन सहकारी संस्था / संघ

| अ.क्र | तपशिल                                                          |                                                                             |                                   |                                   | पैकी गुण | एकूण गुण |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| १     | खातेदार सभासद (मागील ५ वर्षात)                                 |                                                                             |                                   |                                   |          | ५        |
|       | अ                                                              | कार्यक्षेत्रातील १००% मच्छीमार सभासद असल्यास                                |                                   |                                   | ५        |          |
|       | ब                                                              | कार्यक्षेत्रातील ८०% पेक्षा जास्त ते १००% पेक्षा कमी मच्छीमार सभासद असल्यास |                                   |                                   | ४        |          |
|       | क                                                              | कार्यक्षेत्रातील ७०% पेक्षा जास्त ते ८०% मच्छीमार सभासद असल्यास             |                                   |                                   | ३        |          |
|       | ड                                                              | कार्यक्षेत्रातील ६०% पेक्षा जास्त ते ७०% मच्छीमार सभासद असल्यास             |                                   |                                   | २        |          |
|       | इ                                                              | कार्यक्षेत्रातील ५०% पेक्षा जास्त ते ६०% मच्छीमार सभासद असल्यास             |                                   |                                   | १        |          |
| २     | वार्षिक मत्स्य उत्पादन सरासरी (मागील ५ वर्षात) किलो ग्रॅममध्ये |                                                                             |                                   |                                   |          | ५        |
|       |                                                                | गोडया पाण्यातील                                                             | खाऱ्या पाण्यातील                  | मच्छीमार संघ                      |          |          |
|       | अ                                                              | ३०,००० पेक्षा जास्त                                                         | १,००,००० पेक्षा जास्त             | २,००,००० पेक्षा जास्त             | ५        |          |
|       | ब                                                              | २०,००१ ते ३०,०००                                                            | ७५,००१ ते १०००००                  | १,५०,००१ ते २,००,०००              | ४        |          |
|       | क                                                              | १०,००१ ते २०,०००                                                            | ५०,००१ ते ७५,०००                  | १२५००१ ते १,५०,०००                | ३        |          |
|       | ड                                                              | ६,००१ ते १०,०००                                                             | २५,००१ ते ५०,०००                  | १,००,००१ ते १,२५,०००              | २        |          |
| ३     | संस्थेचे इतर व्यवसाय /सुविधा                                   |                                                                             |                                   |                                   |          | ५        |
|       | अ                                                              | मत्स्य बीज विक्री केंद्र असल्यास                                            |                                   |                                   | ३        |          |
|       | ब                                                              | मत्स्य खादय विक्री केंद्र असल्यास                                           |                                   |                                   | २        |          |
| ४     | वार्षिक उलाढाल (सरासरी मागील ५ वर्षाची)                        |                                                                             |                                   |                                   |          | ५        |
|       |                                                                | गोडया पाण्यातील                                                             | खाऱ्या पाण्यातील                  | मच्छीमार संघ                      |          |          |
|       | अ                                                              | रु. १५ लाखापेक्षा जास्त                                                     | रु. २५ लाखापेक्षा जास्त           | रु. ५० लाखापेक्षा जास्त           | ५        |          |
|       | ब                                                              | रु. १० लाखापेक्षा जास्त ते १५ लाख                                           | रु. २० लाखापेक्षा जास्त ते २५ लाख | रु. ४० लाखापेक्षा जास्त ते ५० लाख | ४        |          |
|       | क                                                              | रु. ५ लाखापेक्षा जास्त ते १० लाख                                            | रु. १५ लाखापेक्षा जास्त ते २० लाख | रु. ३० लाखापेक्षा जास्त ते ४० लाख | ३        |          |
|       | ड                                                              | रु. २ लाखापेक्षा जास्त ते ५ लाख                                             | रु. १० लाखापेक्षा जास्त ते १५ लाख | रु. २० लाखापेक्षा जास्त ते ३० लाख | २        |          |
|       | इ                                                              | रु. १ ते २ लाख                                                              | रु. ५ ते १० लाख                   | रु. १० ते २० लाख                  | १        |          |

|   |                                          |                                          |   |   |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|
| ५ | मत्स्यमारी व्यवस्था                      |                                          |   | ६ |
|   | अ                                        | संस्थेची स्वतःची नौका असल्यास            | २ |   |
|   | ब                                        | नौका दुरुस्ती कार्यशाळा असल्यास          | २ |   |
|   | क                                        | नौका सुटेभाग विक्री केंद्र असल्यास       | २ |   |
| ६ | संस्थेची स्वतःची वितरण व्यवस्था          |                                          |   | ४ |
|   | अ                                        | परदेशी निर्यात व्यवस्था                  | २ |   |
|   | ब                                        | परराज्य विक्री व्यवस्था                  | १ |   |
|   | क                                        | स्थानिक विक्री व्यवस्था                  | १ |   |
| ७ | संस्थेची स्वतःची साठवणूक व वाहतूक सुविधा |                                          |   | ५ |
|   | अ                                        | कोल्ड स्टोरेज (बर्फ पुरवठा)              | २ |   |
|   | ब                                        | वाहन सुविधा / डिझेल इंधन पुरवठा व्यवस्था | २ |   |
|   | क                                        | अद्ययावत साठवण व्यवस्था                  | १ |   |

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष**

**भाग — ब**

**एकूण ३५ गुण**

**वाहतूक संस्था**

| अ.क्र | तपशिल                                                                                                | पैकी गुण | एकूण गुण  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| १     | <b>सभासदांनी स्वतःची वाहने धारण केली आहेत का ?</b>                                                   |          | <b>१०</b> |
|       | अ ७५ % पेक्षा जास्त ते १००% सभासदांनी स्वतःची वाहने धारण केली असल्यास                                | १०       |           |
|       | ब ५० % पेक्षा जास्त ते ७५ % सभासदांनी स्वतःची वाहने धारण केली असल्यास                                | ७        |           |
|       | क २५ % पेक्षा जास्त ते ५०% सभासदांनी स्वतःची वाहने धारण केली असल्यास                                 | ५        |           |
|       | ड २५% किंवा त्यापेक्षा कमी सभासदांनी स्वतःची वाहने धारण केली असल्यास                                 | ०        |           |
| २     | <b>संस्थेची स्वतःच्या मालकीची वाहने असल्यास</b>                                                      |          | <b>३</b>  |
|       | अ संस्थेची स्वतःच्या मालकीची वाहने असल्यास                                                           | ३        |           |
|       | ब संस्थेची स्वतःच्या मालकीची वाहने नसल्यास                                                           | ०        |           |
| ३     | <b>संस्थेच्या सभासदांना / वाहनांना मिळणारे काम</b>                                                   |          | <b>३</b>  |
|       | अ संस्थेच्या सभासदांना / वाहनांना वर्षभर काम मिळेल अशी व्यवस्था असल्यास                              | ३        |           |
|       | ब संस्थेच्या सभासदांना / वाहनांना वर्षभर काम मिळेल अशी व्यवस्था नसल्यास                              | ०        |           |
| ४     | <b>वाहन खरेदी / दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य</b>                                                          |          | <b>३</b>  |
|       | अ संस्थेने वाहन खरेदी / दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य पुरविले असल्यास अथवा तशी व्यवस्था पुरवित असल्यास     | ३        |           |
|       | ब संस्थेने वाहन खरेदी / दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य पुरविले असल्यास अथवा तशी व्यवस्था पुरवित नसल्यास     | ०        |           |
| ५     | <b>सुरक्षित वाहतूक प्रशिक्षण</b>                                                                     |          | <b>३</b>  |
|       | अ संस्थेने सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था केली असल्यास                                      | ३        |           |
|       | ब संस्थेने सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था केली नसल्यास                                      | ०        |           |
| ६     | <b>संस्थेचा डिझेल/ पेट्रोल पंप</b>                                                                   |          | <b>३</b>  |
|       | अ संस्थेचा डिझेल/ पेट्रोल पंप असल्यास                                                                | ३        |           |
|       | ब संस्थेचा डिझेल/ पेट्रोल पंप नसल्यास                                                                | ०        |           |
| ७     | <b>आरोग्य तपासणी व वैद्यकीय सुविधा</b>                                                               |          | <b>३</b>  |
|       | अ संस्था सभासद / वाहनचालक यांची नियमित आरोग्य तपासणी व वैद्यकीय सुविधा संस्थेमार्फत केली जात असल्यास | ३        |           |
|       | ब संस्था सभासद / वाहनचालक यांची नियमित आरोग्य तपासणी व वैद्यकीय सुविधा संस्थेमार्फत केली जात नसल्यास | ०        |           |
| ८     | <b>वाहनांचे सुटे भाग पुरविण्याची व्यवस्था</b>                                                        |          | <b>३</b>  |
|       | अ वाहनांचे सुटे भाग पुरविण्याची संस्थेने व्यवस्था केली असल्यास                                       | ३        |           |
|       | ब वाहनांचे सुटे भाग पुरविण्याची संस्थेने व्यवस्था केली नसल्यास                                       | ०        |           |

|    |   |                                                                                                  |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ९  |   | वाहन परवाना, विमा, कर इ. बाबींचे नूतनीकरण, भरणा यांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन                      |   |   |
|    | अ | वाहन परवाना, विमा , कर इ. बाबींचे नूतनीकरण, भरणा यांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन संस्था करीत असल्यास | २ | २ |
|    |   | वाहन परवाना, विमा , कर इ. बाबींचे नूतनीकरण, भरणा यांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन संस्था करीत नसल्यास | ० |   |
| १० |   | अभिनव योजना                                                                                      |   |   |
|    | अ | संस्था संस्थेचा व्यवसाय वाढीसाठी अभिनव योजना राबवित असल्यास                                      | २ | २ |
|    | ब | संस्था संस्थेचा व्यवसाय वाढीसाठी अभिनव योजना राबवित नसल्यास                                      | ० |   |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग — ब

एकूण गुण- ३५

औद्योगिक वसाहती संस्था

| अ.क्र. | तपशिल                                                                                                          | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड वाटप / हस्तांतरण</b>                                                              |          | १०       |
|        | अ औद्योगिक वसाहतीमधील ७५% पेक्षा जास्त ते १००% भूखंड पात्र सभासदांना वाटप केले असल्यास                         | १०       |          |
|        | ब औद्योगिक वसाहतीमधील ५० % पेक्षा जास्त ते ७५% भूखंड पात्र सभासदांना वाटप केले असल्यास                         | ७        |          |
|        | क औद्योगिक वसाहती मधील २५% पेक्षा जास्त ते ५०% भूखंड पात्र सभासदांना वाटप केले असल्यास                         | ५        |          |
|        | ड औद्योगिक वसाहती पधौल २५% किंवा त्यापेक्षा कमी भूखंड पात्र सभासदांना वाटप केले असल्यास                        | ०        |          |
| २.     | <b>वाटप / हस्तांतरीत केलेल्या भुखंडापैकी प्रत्यक्षात औद्योगिक उत्पादन</b>                                      |          | ५        |
|        | अ वाटप / हस्तांतरीत केलेल्या भुखंडापैकी ७५% पेक्षा जास्त ते १००% सभासदांनी औद्योगिक उत्पादन सुरू केले असल्यास  | ५        |          |
|        | ब वाटप / हस्तांतरीत केलेल्या भुखंडापैकी ५० % पेक्षा जास्त ते ७५% सभासदांनी औद्योगिक उत्पादन सुरू केले असल्यास  | ३        |          |
|        | क वाटप / हस्तांतरीत केलेल्या भुखंडापैकी २५ % पेक्षा जास्त ते ५०% सभासदांनी औद्योगिक उत्पादन सुरू केले असल्यास  | २        |          |
|        | ड वाटप / हस्तांतरीत केलेल्या भुखंडापैकी २५ % किंवा त्यापेक्षा कमी सभासदांनी औद्योगिक उत्पादन सुरू केले असल्यास | ०        |          |
| ३      | <b>सर्व भूखंड धारकांना विहित कालावधीसाठी केलेला भाडेपट्टा करार (lease deed)</b>                                |          | ५        |
|        | अ ७५% पेक्षा जास्त ते १००% भूखंड धारक सभासदांचा विहित कालावधीसाठी भाडेपट्टा करार केला असल्यास                  | ५        |          |
|        | ब ५० % पेक्षा जास्त ते ७५ % भूखंड धारक सभासदांचा विहित कालावधीसाठी भाडेपट्टा करार केला असल्यास                 | ३        |          |
|        | क २५% पेक्षा जास्त ते ५० % भूखंड धारक सभासदांचा विहित कालावधीसाठी भाडेपट्टा करार केला असल्यास                  | २        |          |
|        | ड २५% किंवा त्यापेक्षा कमी भूखंड धारक सभासदांचा विहित कालावधीसाठी भाडेपट्टा करार केला असल्यास                  | ०        |          |
| ४      | <b>पायाभूत सोयीसुविधांची उपलब्धता (उदा. विज, पाणी, पक्के रस्ते, बंदिस्त गटारे इत्यादी)</b>                     |          | ३        |
|        | अ वरीलप्रमाणे पायाभूत सोयीसुविधा असल्यास                                                                       | ३        |          |
|        | ब वरीलप्रमाणे पायाभूत सोयीसुविधा नसल्यास                                                                       | ०        |          |
| ५      | <b>सुरक्षा व्यवस्था</b>                                                                                        |          | २        |
|        | अ संस्थेने योग्य व पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली असल्यास                                            | २        |          |
|        | ब संस्थेने योग्य व पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली नसल्यास                                            | ०        |          |

|    |                                                                                                                           |                                                                                   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ६  | आपत्कालीन परिस्थितीत / दुर्घटनेसाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था (उदा. आग, अपघात याकरीता अग्निशमन यंत्रणा, रुग्णवाहिका इत्यादी) |                                                                                   |   | २ |
|    | अ                                                                                                                         | संस्थेने आपत्कालीन परिस्थितीत / दुर्घटनेसाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था केली असल्यास  | २ |   |
|    | ब                                                                                                                         | संस्थेने आपत्कालीन परिस्थितीत / दुर्घटनेसाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था केली नसल्यास  | ० |   |
| ७  | संस्थेने प्रकल्प अर्थसहाय्यासाठी उभारण्यात आलेली यंत्रणा                                                                  |                                                                                   |   | २ |
|    | अ                                                                                                                         | प्रकल्प अर्थसहाय्यासाठी संस्थेने स्वतःची यंत्रणा उभारली असल्यास                   | २ |   |
|    | ब                                                                                                                         | प्रकल्प अर्थसहाय्यासाठी संस्थेने स्वतःची यंत्रणा उभारली नसल्यास                   | ० |   |
| ८  | वसाहतीमधील निर्यातक्षम औद्योगिक प्रकल्प                                                                                   |                                                                                   |   | २ |
|    | अ                                                                                                                         | वसाहतीमध्ये निर्यातक्षम औद्योगिक प्रकल्प असल्यास                                  | २ |   |
|    | ब                                                                                                                         | वसाहतीमध्ये निर्यातक्षम औद्योगिक प्रकल्प नसल्यास                                  | ० |   |
| ९  | पर्यावरण संवर्धनासाठी आवश्यक बाबींची व्यवस्था (उदा. वृक्षलागवड, घन ओला कचरा विल्हेवाट, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन) इत्यादी   |                                                                                   |   | २ |
|    | अ                                                                                                                         | पर्यावरण संवर्धनासाठी वरीलप्रमाणे आवश्यक बाबींची व्यवस्था असल्यास                 | २ |   |
|    | ब                                                                                                                         | पर्यावरण संवर्धनासाठी वरीलप्रमाणे आवश्यक बाबींची व्यवस्था नसल्यास                 | ० |   |
| १० | अभिनव योजना/ इतर सामाजिक / सांस्कृतिक उपक्रम                                                                              |                                                                                   |   | २ |
|    | अ                                                                                                                         | वसाहतीमध्ये याव्यतिरीक्त अभिनव योजना इतर सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रम राबवित असल्यास | २ |   |
|    | ब                                                                                                                         | वसाहतीमध्ये याव्यतिरीक्त अभिनव योजना इतर सामाजिक सांस्कृतिक उपक्रम राबवित नसल्यास | ० |   |

सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष

भाग - ब

एकूण गुण - ३५

मधुमक्षिकापालन संस्था

| अ.क्र | तपशिल                                                                                                                            | पैकी गुण | एकूण गुण |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १     | <b>उत्पादकता - सभासदांमार्फत मध उत्पादन</b>                                                                                      |          | १०       |
| अ     | संस्थेचे ७५ % पेक्षा जास्त ते १०० % सभासद मध उत्पादन करीत असल्यास                                                                | १०       |          |
| ब     | संस्थेचे ५० % पेक्षा जास्त ते ७५ % सभासद मध उत्पादन करीत असल्यास                                                                 | ७        |          |
| क     | संस्थेचे २५ % पेक्षा जास्त ते ५० % सभासद मध उत्पादन करीत असल्यास                                                                 | ५        |          |
| ड     | संस्थेचे २५ % किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद मध उत्पादन करीत असल्यास                                                                 | ०        |          |
| २     | <b>मध संकलन व्यवस्था</b>                                                                                                         |          | २        |
| अ     | सभासदांकडील उत्पादित मध संकलीत करण्याची व्यवस्था असल्यास                                                                         | २        |          |
| ब     | सभासदांकडील उत्पादित मध संकलीत करण्याची व्यवस्था नसल्यास                                                                         | ०        |          |
| ३     | <b>उत्पादित केलेल्या मधाची गुणवत्ता तपासणे</b>                                                                                   |          | ५        |
| अ     | उत्पादित केलेल्या मधाची गुणवत्ता तपासण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असल्यास                                                            | ५        |          |
| ब     | उत्पादित केलेल्या मधाची गुणवत्ता तपासण्याची स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यास                                                            | ०        |          |
| ४     | <b>उत्पादित केलेल्या मधाची विक्री व्यवस्था</b>                                                                                   |          | ३        |
| अ     | संस्था स्वतःच्या नावाने (ब्रँडने) उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करीत असल्यास                                                   | ३        |          |
| ब     | संस्था स्वतःच्या नावाने (ब्रँडने) उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करीत नसल्यास                                                   | ०        |          |
| ५     | <b>मध प्रक्रिया</b>                                                                                                              |          | २        |
| अ     | संस्थेमध्ये उत्पादित केलेल्या मधावर प्रक्रिया करीत असल्यास                                                                       | २        |          |
| ब     | संस्थेमध्ये उत्पादित केलेल्या मधावर प्रक्रिया करीत नसल्यास                                                                       | ०        |          |
| ६     | <b>मधापासून उपपदार्थ निर्मिती</b>                                                                                                |          | २        |
| अ     | संस्था मधापासून उपपदार्थ निर्मिती केली जात असल्यास                                                                               | २        |          |
| ब     | संस्था मधापासून उपपदार्थ निर्मिती केली जात नसल्यास                                                                               | ०        |          |
| ७     | <b>एॅगमार्क</b>                                                                                                                  |          | ३        |
| अ     | संस्थेने एॅगमार्क प्राप्त केला असल्यास                                                                                           | ३        |          |
| ब     | संस्थेने एॅगमार्क प्राप्त केला नसल्यास                                                                                           | ०        |          |
| ८     | <b>उत्पादन वाढविण्यासाठी अभिनव योजना</b>                                                                                         |          | २        |
| अ     | संस्था उत्पादन वाढविण्यासाठी अभिनव योजना राबवित असल्यास                                                                          | २        |          |
| ब     | संस्था उत्पादन वाढविण्यासाठी अभिनव योजना राबवित नसल्यास                                                                          | ०        |          |
| ९     | <b>सभासदांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था</b>                                                                                            |          | ३        |
| अ     | संस्था सभासदांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था पुरवित असल्यास                                                                             | ३        |          |
| ब     | संस्था सभासदांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था पुरवित नसल्यास                                                                             | ०        |          |
| १०    | <b>सभासदांना व्यवसाय वृद्धीसाठी साधनसामग्री पुरवठा</b>                                                                           |          | ३        |
| अ     | संस्था सभासदांना व्यवसाय वृद्धीसाठी साधनसामग्री (उदा. मधपेटी, मधमाश्या, मधसंकलन व वितरण यासाठीची आवश्यक सामग्री ) पुरवित असल्यास | ३        |          |
| ब     | संस्था सभासदांना व्यवसाय वृद्धीसाठी साधनसामग्री (उदा. मधपेटी, मधमाश्या, मधसंकलन व वितरण यासाठीची आवश्यक सामग्री ) पुरवित नसल्यास | ०        |          |

**सहकारी संस्थेच्या गुणवत्तेचे निकष**  
**भाग — ब**  
**सर्वसाधारण वर्गीकरणातील संस्था**

**एकूण गुण- ३५**

| अ.क्र. | तपशील                                                                                                             | पैकी गुण | एकूण गुण |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| १      | <b>संस्थेच्या उद्देशाप्रमाणे सभासदांचा क्रियाशील सहभाग असल्यास</b>                                                |          | १०       |
|        | अ ७५% पेक्षा जास्त ते १००% सभासदांचा सहभाग असल्यास                                                                | १०       |          |
|        | ब ५०% पेक्षा जास्त ते ७५% सभासदांचा सहभाग असल्यास                                                                 | ७        |          |
|        | क २५% पेक्षा जास्त ते ५०% सभासदांचा सहभाग असल्यास                                                                 | ५        |          |
|        | ड २५% किंवा त्यापेक्षा कमी सभासदांचा सहभाग असल्यास                                                                | ०        |          |
| २      | <b>संस्था कार्यालय</b>                                                                                            |          | ५        |
|        | अ संस्थेचे स्वतंत्र कार्यालय असल्यास                                                                              | ५        |          |
|        | ब संस्थेचे स्वतंत्र कार्यालय नसल्यास                                                                              | ०        |          |
| ३      | <b>संस्था सभासदांसाठी त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी राबवित असलेल्या विविध अभिनव योजना</b>                     |          | ५        |
|        | अ संस्था सभासदांसाठी त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अभिनव योजना राबवित असल्यास                                 | ५        |          |
|        | ब संस्था सभासदांसाठी त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अभिनव योजना राबवित नसल्यास                                 | ०        |          |
| ४      | <b>संस्था सभासदांसाठी राबवित असलेले विविध उपक्रम (उदा. विमा, अपघाती विमा, भविष्य निर्वाह निधी, बचतीचे उपक्रम)</b> |          | ५        |
|        | अ संस्था वरीलप्रमाणे सभासदांसाठी विविध उपक्रम राबवित असल्यास                                                      | ५        |          |
|        | ब संस्था वरीलप्रमाणे सभासदांसाठी विविध उपक्रम राबवित नसल्यास                                                      | ०        |          |
| ५      | <b>संस्थेच्या उपक्रमासाठी तंत्रज्ञ, तज्ञ मार्गदर्शक, कुशल कामगार यांची नेमणूक</b>                                 |          | ५        |
|        | अ संस्थेच्या उपक्रमासाठी तंत्रज्ञ, तज्ञ मार्गदर्शक, कुशल कामगार नेमले असल्यास                                     | ५        |          |
|        | ब संस्थेच्या उपक्रमासाठी तंत्रज्ञ, तज्ञ मार्गदर्शक, कुशल कामगार नेमले नसल्यास                                     | ०        |          |
| ६      | <b>सभासदांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था</b>                                                                             |          | ५        |
|        | अ संस्था सभासदांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था राबवित असल्यास                                                            | ५        |          |
|        | ब संस्था सभासदांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था राबवित नसल्यास                                                            | ०        |          |